आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

फ़रवरी 2025

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

'नो डिटेंशन पॉलिसी'

नीति की नाकामी या शिक्षा तंत्र की विफलता





A Well Wisher

“

रमज़ान के महीने की पहली रात को शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और जिन्नों को क़ाबू में कर लिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और एक आसमानी पुकारने वाला घोषणा करता है : ऐ भलाई चाहने वाले, पास आओ! ऐ बुराई चाहने वाले, रुक जाओ! अल्लाह के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें वह जहन्नम से बचाता है, और ऐसा हर रात के दौरान होता है।

”

(हदीस : तिर्मिज़ी)

J. I. H. West, Patna (Bihar)

Website Link
www.kantimasik.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

Circulation Helpline No
9818799223

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

Account Detail
NAME KANTI
A/C NO 0990839195
IFS CODE IDIB000J029
TYPE CURRENT
BANK INDIAN BANK
BRANCH JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा
दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित
एवं
Printer Akhilesh Singh
Press AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020

Editor
Shibli Arsalan
abuaniqa@gmail.com

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 08 फ़रवरी 2025

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
कुपोषण की भयावह समस्या, राजनीतिक 'गंभीरता' और हमारी भूमिका
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
विकासवादी ढांचा और धर्म
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

सौंदर्य बोध 11
'आत्मावलोकन' के कारक
संपादन प्रभाग

मुख्य स्तंभ 15
नीति की नाकामी या शिक्षा तंत्र की विफलता?
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
स्कूली शिक्षा और नो डिटेंशन पॉलिसी
प्रियंका सौरभ

समाधान 23
पास-फेल की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लक्ष्य बनाएं
संपादन प्रभाग

कविता 26
आदमी बनकर जियो
गिरिराज शरण अग्रवाल

मंथन 27
माननीयों की मर्यादा
डॉ. प्रदीप कुमार

विधान 31
दहेज क़ानून की फांस
जितेंद्र गौतम

इबारत 35
महान उपहार
संपादन प्रभाग

सेहत 39
आंखों को कमज़ोर कर सकती हैं आपकी ये आदतें
संपादन प्रभाग

करियर 43
आपदा प्रबंधन में अवसर
संपादन प्रभाग

कहानी 45
नाख़ून
मिख़ाईल नईमा

आख़िरी पन्ना 49
विक्षिप्त मन का बीज
तबाना नूरी

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

लॉस ऐंजेलेस का 'लौस' और हमारी प्रतिक्रिया

लॉस ऐंजेलेस (Los Angeles) की आपदा (Disaster), केवल अमेरिकी इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भयावहतम आपदाओं में शुमार की जायेगी। जंगल से फैली इस भीषण आग ने व्यापक तबाही मचाई है। 7 जनवरी से भड़कने वाली ये आग अब तक (14 जनवरी) बुझी नहीं बल्कि भड़के ही चली जा रही है। खुश्क मौसम की तेज़ तूफानी हवाओं ने इस आगज़नी को बेहद विकराल रूप दे दिया। इस भीषण और भयावह आग ने लॉस ऐंजेलेस शहर के पैलिसेड्स, ईटन, केनेथ और हर्स्ट के क्षेत्रों में लगभग 160 वर्ग किलोमीटर को नष्ट कर दिया है। 40,000 एकड़ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। आग की चपेट में आने से कम से कम 24 लोगों की जान चली गई और हज़ारों इमारतें बुरी तरह जल गई हैं।

ख़रबों रुपये की संपत्ति और प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने के अलावा क़रीब दो लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आलीशान बंगलों व सरकारी संरचना तथा नागरिक सुविधा के साधनों के स्वाहा होने की ख़बर है। लोग असहाय होकर अपनी जीवन भर की पूंजी को स्वाह होते देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते तल्ख़ होते मौसम से हालात और ख़राब होने की आशंका जतायी जा रही है। अमेरीकी जंगलों में आगज़नी की भीषण घटनाएं और विनाश लीला पहले भी होती रही हैं मगर ये आग शायद अमेरिका के इतिहास की सबसे ख़तरनाक आग साबित हुई है।

स्थिति कैसी विकराल है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क इस अग्नितांडव के सामने बेबस नज़र आरहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे विकसित और एड्वांस्ड देश की एजेंसियां और अधिकारी असहाय लग रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक,कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन (Cal Fire) के डिप्टी चीफ ब्राइस बेनेट ने गत् रविवार (12 जनवरी) को बताया, "हमें प्रकृति माता से एक आराम (ब्रेक) की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "हमारे पास अग्निशमन कर्मी (फायरफाइटर्स) हैं। हमारे पास पानी है। हमें समय चाहिए।"अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने इस आपदा को "युद्ध के दृश्य" जैसा बताया, जहां भारी विनाश देखने को मिला।

काश मिस्टर बाईडेन अमेरिका के हाथों दुनिया में मचे युद्ध विनाश विशेष रूप से ग़ज़्ज़ा के युद्ध विनाश को महसूस कर पाते। आग के चश्मदीदों की मानें तो ऐसी तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये विनाश ऐसा है,जैसे कि यहां पर कोई बम फटा हो। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया को मुसीबत में मदद का भरोसा देने वाला अमेरिका कुदरत के प्रकोप के आगे ख़ुद असहाय सा दिखने लगा है। राहत और बचाव के लिए उसे कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से मदद लेनी पड़ी।

लॉस एंजेलिस की इस बेक़ाबू आग और भारी जन-धन की क्षति ने ये साबित किया है कि दुनिया की नंबर एक महाशक्ति भी क़ुदरत के रौद्र रूप के सामने बौनी ही साबित हुई। ज़मीन आसमान एक करके भी इस आग पर अब तक (इन वाक्यों के लिखे जाने तक) क़ाबू नहीं पाया जा सका है। अमेरिका पर ये आपदा कितनी बड़ी है, कि ईरान ने भी दुश्मनी भुलाकर हर संभव मदद की पेशकश की है। अमेरिका को संदेश भेजकर तेहरान ने कहा है कि विशेष उपकरणों से लैस आग बुझाने वाली उसकी टीमें वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरान की ये पेशकश स्वागतयोग्य है, मानवता और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है। दुश्मनी होगी अमेरीकी हुकूमत और हुक्मरानों से मगर अमेरीकी समाज और लॉस ऐंजेलेस की जनता तो उसी एक ईश्वर के बंदे और मख़लूक़ (रचना) हैं, जिसकी बंदगी करने का दावा मुसलमान करते हैं।

क़ुदरत कब, किससे और कैसे बदला लेती है, यह सिर्फ़ क़ुदरत या ख़ुद अल-क़ादिर (क़ुदरत का रचयता) जानता है। हमारी ज़िम्मेदारी मानवीय संवेदना का इज़हार और अपने हिस्से का सेवाभाव और राहत कार्य है।

ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद (स०) ने फ़रमाया था "अल-खल्क़ु अयालुल्लाह" अर्थात दुनिया की सारी मखलूक़ जिसमें इंसान भी हैं और दूसरे जानदार भी, अल्लाह का कुन्बा है"। अतः ईरान की पेशकश प्रशंसनीय है। इकना (ICNA) अमेरिकी मुसलमानों का एक प्रमुख और विश्वसनीय संगठन है और इसकी रिलीफ संस्था है "इकना रिलीफ" जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी प्राकृतिक आपदाओं में आपदा पीड़ितों तक पहुंचने में लगी रहती है, लॉस ऐंजेलेस की इस भयावह आपदा में भी इसके सैकड़ों स्वयंसेवक आपदा क्षेत्र में समय पर पहुंच चुके हैं और पूरी लगन और क्षमता से पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। अमेरीकी अख़बारों ने इकना के योगदान को कवर किया है। इकना ने लॉस ऐंजेलेस के आपदा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री, कपड़े और दवा वितरण का अभियान छेड़ दिया है।'इकना रिलीफ' पहले भी कोरोना आपदा और तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करती रही है।

ऐसी होती है ईश्वर के आज्ञाकारी ईश भक्त लोगों की प्रतिक्रिया। अल्लाह के आख़िरी नबी ने जो संसार के लिए "रहमत" बना कर भेजे गए थे, एक अवसर पर फ़रमाया था "मेरा उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है जो किसी के द्वारा जलाई गई आग के पास है। कीट-पतंग इस आग की ओर उड़ रहे हैं और मैं एक-एक कीट-पतंगे को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ।"

वहीं, सोशल मीडिया पर जो कुछ भावुक युवा ग़ज़्ज़ा पर बरस रहे बमों की आग को कैलिफोर्निया पर बरस रही आग की लपटों के समान बता रहे हैं और इसे "प्रकृति का बदला" बता रहे हैं, ये वास्तव में बचकाना रवय्या है। दिलचस्प बात यह है कि ग़ज़्ज़ा में हुए भीषण अत्याचारों पर शायद सबसे अधिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया अमेरिकी नागरिकों और विशेष रूप से कैलिफोर्निया राज्य के छात्रों की ओर से आई, लॉस ऐंजेलेस इसी राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इजराइल की क्रूरता के ख़िलाफ़ इस प्रतिक्रिया में मुस्लिमों के साथ-साथ बड़ी संख्या में अमेरिकी नॉन-मुस्लिम नागरिक भी पेश-पेश थे।

इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्रों ने आश्चर्यजनक रूप से कई महीनों तक इजराइली अत्याचारों के ख़िलाफ़ न केवल विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि इसका नेतृत्व भी किया। इस प्रतिरोध का दसवां हिस्सा भी किसी मुस्लिम देश में नहीं हुआ। कुदरत कब, किससे और कैसे बदला लेती है, यह सिर्फ़ कुदरत या ख़ुद अल-क़ादिर (क़ुदरत का रचयता) जानता है। हमारी ज़िम्मेदारी मानवीय संवेदना का इज़हार और अपने हिस्से का सेवाभाव और राहत कार्य है। ■■





Seahath Canning Company

Plot No. 8, Margoa Industrial Estate
St. Jose de Areal. Post Curtorium
Margoa, Goa 403709, INDIA
Tel.: +91-832-2860412 / 6481562
Email: info@seahath.com | www.seahath.com

विकासवादी ढांचा और धर्म

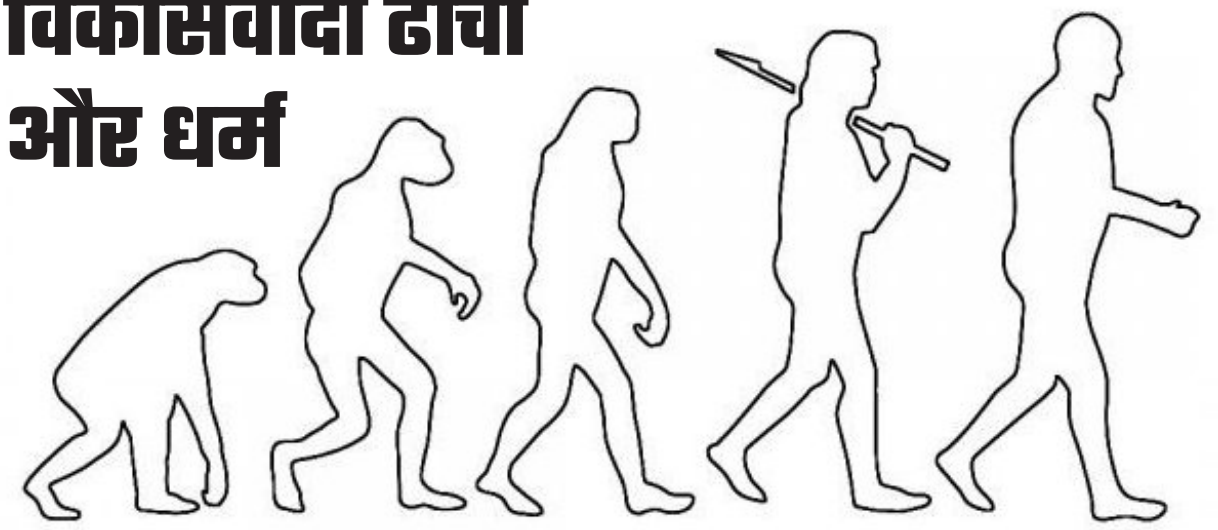

विश्व के लगभग सभी शोधकर्ता विकासवाद की अवधारणा को एक सिद्ध तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वे विकास की अवधारणा (न कि मानव विकास का सिद्धांत) को इस योग्य मानते और समझते हैं कि यह अवधारणा मानव जीवन और उससे जुड़े हर पहलू का प्रयाप्त उत्तर दे सकती है। उदाहरण के लिए धार्मिक मान्यताएं, जीवन आदि। जीवन की शुरुआत सरल रासायनिक पदार्थों से हुई और इन रासायनिक पदार्थों की जटिल अंतःक्रियाओं से होते हुए शुरुआती कोशिका तक पहुंची। फिर इस शुरुआती कोशिका से जटिल एक-कोशिकीय जीव और फिर उस एक-कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव और इसके बाद मनुष्य सहित जीवन की सभी जटिल घटनाएं अस्तित्व में आई।

बाद में विकास की अवधारणा का विस्तार हर मूर्त और अमूर्त तक कर दिया गया। जैसे धर्म, नैतिक व्यवहार, चेतना एवं बोध के उच्च स्तर, भावनाएं और संवेदनाएं आदि। अब स्थिति यह है कि विज्ञानवाद के प्रभाव में (विज्ञान के प्रभाव में नहीं!) ब्रह्मांड और इससे जुड़ी हर चीज़ जैसे कि मनुष्य, प्राकृतिक दृश्य एवं घटनाएं, मानव व्यवहार, बाज़ार,



बाज़ार में प्रभावकारी अमूर्त और आंकड़ों की परिसीमा में न आने वाली शक्तियां, ब्रह्मांड के रहस्यमय दृश्य, भौतिक और ग़ैर-भौतिक और इससे परे की अवधारणाएं, यानी नज़र आने वाली और न नज़र आने वाली हर मूर्त एवं अमूर्त और हर व्यवहार, हर प्रकट और अप्रकट, एक विकासवादी ढांचे में क़ैद कर दिए जाते हैं। धर्म के संबंध में भी बिलकुल यही बात है।

विकासवादी ढांचे और विज्ञानवाद के आधार पर, धर्म को किसी अलौकिक सत्ता द्वारा दी गई कोई निर्देशिका या जीवन संहिता नहीं माना जाता है। न यह समझा जाता है कि यह किसी मनुष्य, ईशदूत या फ़रिश्तों के द्वारा किसी स्रष्टा या सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्यों के लिए जीने का एक तरीक़ा भेजा है। बल्कि इसे शत-प्रतिशत मानव-निर्मित प्रयास कहा जाता है।

धर्म की विकासवादी अवधारणा का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—

- धर्म अलौकिक नहीं हैं। यह मनुष्यों द्वारा और मनुष्यों के बीच ही विकसित हुए हैं।
- धर्म अपने प्रारंभिक रूपों (रीति-रिवाजों RITUALS) से जटिल मान्यताओं की ओर विकसित हुए हैं।
- धर्म समूह की फिटनेस प्रदान करते हैं। अर्थात वे एक समूह के रूप में मनुष्य और मानव जाति को एक बेहतर जीवन की गारंटी देते हैं,

इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं।

- आज के जटिल धार्मिक दर्शन/विषय/मान्यताएं और संरचित धर्मों के प्रारंभिक रूप या अवधारणाएं प्राचीन असभ्य आदिम जनजातियों (PRIMITIVE TRIBALS) जैसे अंडमान और जिम्बाब्वे या पूर्वी अफ्रीका में मौजूद आदिवासी समाजों में देखी जा सकती हैं।
- आधुनिक मानव के करीबी सहजातीय निएंडरथल द्वारा बनाई गई पेंटिंगों में भी आदिम रीति-रिवाजों की झलक मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि आज के जटिल धर्म अतीत में सरल रूपों में मौजूद रहे होंगे। और मानव चेतना एवं ज्ञान में विकास के साथ-साथ धर्म भी विकसित होते रहे।

वास्तविकता यह है कि धर्मों के विकास का आख्यान बहुत कमज़ोर सिद्धांतों पर आधारित है। इस सिलसिले में जितने साक्ष्य दिए जाते हैं उन सभी की हैसियत गौण है। इसके अलावा, ये सभी आख्यान असाधारण परिवर्तनों से गुज़रते हैं। उदाहरण के लिए, रीति-रिवाजों की उत्पत्ति, मान्यताओं का विकास, सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा, समाज की धार्मिक संरचना और संगठन, धर्मों के विकासवादी और इसकी प्रमुख भूमिका की अवधारणाएं, धर्मों की सामूहिक उपयुक्तता के विपरीत साक्ष्य आदि।

उपरोक्त आख्यान (NARRATIVE) संपेक्ष में उन पहलुओं को समाहित करते हैं जो धर्म की विकासवादी अवधारणा से जुड़े हैं, लेकिन आवश्यक प्रतीत होता है कि उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया जाए जो धर्मों के विकास के सिलसिले में प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि पाठक इस आख्यान के ज्ञान के अंतर (KNOWLEDGE GAP) का आकलन कर सकें। इस बात का स्पष्टीकरण ज़रूरी है कि यहां केवल उन्हीं सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा जो विकासवादी ढांचे में धर्मों की व्याख्या करते हैं। धर्मों की मानव-विज्ञान संबंधी (ANTHROPOLOGICAL) व्याख्या का यहां इरादा नहीं है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीवन के विकास या मानव विकास की अवधारणाओं के ताने-बाने बहुत दूर अतीत में जाकर मिल जाते हैं, लेकिन धर्म की विकासवादी अवधारणाएं डार्विन की प्रसिद्ध विकासवाद की अवधारणा के बाद ही सार्वजनिक परिदृश्य पर नज़र आती दिखाई देती हैं। इस विकास की अवधारणा की प्रस्तुति से पहले इस प्रकार की के प्रयास हमें नज़र नहीं आते। यानी इससे पहले, विकास की अवधारणा का विस्तार मानव जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि धर्म, धर्म से प्राप्त नैतिकता और विभिन्न अन्य घटनाओं तक नहीं हुआ था।

मानव इतिहास में धर्म की असाधारण भूमिका सर्वमान्य थी। नैतिकता के स्रोत और नैतिकता के प्रेरक रूप में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। हमारे निकट मानव विकास के सिद्धांत के बाद ही विकास की अवधारणा का विस्तार धार्मिक विश्वासों, अन्य मामलों और रीति-रिवाजों तक कर दिया गया और हमारी जानकारी के अनुसार, इसकी शुरुआत एडवर्ड ब्रेंट टायलर ने की। 1871 में उनकी पुस्तक ''PRIMITIVE CULTURE'' प्रकाशित हुई। उनकी यह प्रसिद्ध पुस्तक डोवर पब्लिकेशन्स न्यूयॉर्क ने प्रकाशित की है।[1]

टायलर ने इस पुस्तक में सभ्यता, दर्शन और धर्मों के संबंध में बौद्धिक चर्चा की है, लेकिन वे सभी बहसें एक विकासवादी ढांचे में हैं। इसलिए जैसे ही इस ढांचे में कोई कमी आती है या इसे और अधिक लचकदार बनाने का प्रयास किया जाता है, ये बहसें पुरानी हो जाती हैं। इन बहसों में सबसे प्रमुख है जीववाद (ANIMISM) की अवधारणा। इस अवधारणा की जड़ें इस प्रश्न में निहित हैं कि धर्म का सबसे प्रारंभिक या सरलतम रूप क्या है?

दूसरे शब्दों में, यदि यह मालूम कर लिया जाए कि मौजूदा जटिल मान्यताएं, जैसे एक से अधिक ख़ुदाओं पर विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास, एक पूर्ण और सर्वशक्तिमान हस्तक्षेप करने

वाले ईश्वर पर विश्वास, इन विश्वासों से उत्पन्न होने वाले संस्कार जैसे बलिदान, मार्गदर्शन का पालन करना और इसके लिए तकलीफ़ उठाना या अपने नुक़सान की परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा करना आदि। इन सबका सबसे सरल रूप क्या है?

आधुनिक नास्तिकों जैसे रिचर्ड डॉकिन्स की मानें तो आधुनिक समय में धर्म मानव जाति के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं। धर्म के आधार पर ख़ून-ख़राबा हो रहा है, धार्मिक वर्चस्व के लिए लोग मार रहे हैं और मर रहे हैं। धर्म के आधार पर अस्तित्व में आने वाली सभ्यताएं एक-दूसरे से टकरा कर मानव जाति को ख़त्म कर देने पर उतारू हैं। (यह सब बहुत सारे आंशिक सत्य और बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार के आख्यान हैं और गंभीर और निष्पक्ष शोध इन्हें सिरे से रद्द कर चुके हैं!) इसलिए धर्मों को धीरे-धीरे अस्तित्व से मिट जाना चाहिए। क्योंकि अब मानव जाति को इन धर्मों से सामूहिक फिटनेस नहीं मिल रही है। इस लिहाज़ से धर्म की विशेषता को अब उन्मूलन की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। परन्तु इसके बजाए विश्व भर में न केवल धर्म का प्रचार-प्रसार हो रहा है, बल्कि समग्र रूप से धार्मिकता (RELIGIOSITY) को विभिन्न रूपों में बढ़ते और फलते-फूलते देखा जा सकता है।

इस बिंदु के तर्क की काट इस प्रकार की जाती है कि विकास एक लंबी अवधि में घटित होता है। इसलिए धर्म जैसे लक्षण जो बहुत जटिल हैं, ख़त्म होने में लंबा समय लगेगा। परन्तु आधुनिक शोधों ने तो यह भी सिद्ध किया है कि कुछ लक्षण मात्र 30 वर्ष की अल्प अवधि में भी अस्तित्व में आए या विलुप्त हो तो इसके सिलसिले में क्या कहा जायेगा? यदि इसे अपवाद के रूप में मान लिया जाए तो धर्म के सिलसिले में भी यह अपवाद क्यों नहीं लागू हो सकता है?

वास्तविकता यह है कि धर्मों के विकास का आख्यान बहुत कमज़ोर सिद्धांतों पर आधारित है। इस सिलसिले में जितने साक्ष्य दिए जाते हैं उन सभी की हैसियत गौण है। इसके अलावा, ये सभी आख्यान असाधारण परिवर्तनों से गुज़रते हैं। उदाहरण के लिए, रीति-रिवाजों की उत्पत्ति, मान्यताओं का विकास, सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा, समाज की धार्मिक संरचना और संगठन, धर्मों के विकासवादी और इसकी प्रमुख भूमिका की अवधारणाएं, धर्मों की सामूहिक उपयुक्तता के विपरीत साक्ष्य आदि।

सभी परोक्ष साक्ष्य (जो कुछ भी दिए जाते हैं!) वे धर्म जैसे जटिल उद्यम ENTERPRISE (विकासवादी विशेषज्ञो की नज़रों में!) की व्याख्या नहीं कर पाते । परोक्ष साक्ष्य जितने प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनसे और अधिक प्रश्न खड़े हो जाते का हैं।

विकासवादी ढांचा स्वयं असाधारण परिवर्तनों से गुज़र रहा है। इसलिए इस ढांचे से धर्म जैसी चीज़ की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण बहुत कठिन काम है।

ज्ञात मानव इतिहास में धर्मों की भूमिका उसके असाधारण महत्व का परिचायक है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण भी असाधारण आख्यानों एवं तर्कों से होना चाहिए, न कि विस्तारित एवं अप्रत्यक्ष तर्कों एवं प्रमाणों से।

आधुनिक काल, जिसे भौतिक विज्ञान के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है, इसमें धर्म की विकासवादी अवधारणा का इतने प्रारंभिक स्तर पर होना कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि धर्म की अवधारणा और विशुद्ध संरचनात्मक धर्म अपनी व्याख्या एवं स्पष्टीकरण के लिए अन्य ढांचे के अधीन हैं।

सभी धर्मों में कुछ रीति-रिवाजों की आवृत्ति और एकरूपता कहीं उनके एक स्रोत से का प्रमाण तो नहीं है? धर्मों, रीति-रिवाजों और प्रतीकों एवं मान्यताओं की निर्धारित परिभाषा के सिलसिले जो मतभेद मौजूद हैं वे धर्मों

विकासवादी ढांचे और विज्ञानवाद के आधार पर, धर्म को किसी अलौकिक सत्ता द्वारा दी गई कोई निर्देशिका या जीवन संहिता नहीं माना जाता है। न यह समझा जाता है कि यह किसी मनुष्य, ईशदूत या फ़रिश्तों के द्वारा किसी स्रष्टा या सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्यों के लिए जीने का एक तरीक़ा भेजा है। बल्कि इसे शत-प्रतिशत मानव-निर्मित प्रयास कहा जाता है।

के संपूर्ण विकासवादी आख्यानों पर प्रश्नचिह्न लगाते नज़र आते हैं।

अप्रत्यक्ष साक्ष्य में बोध एवं चेतना (COGNITION) और अन्य जटिल संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर कोई सहमति नहीं है। न ही उसकी उत्पत्ति पर, न ही उसके स्रोत पर और न ही उसकी अभिव्यक्ति पर।

हाल ही में आईसीएम (INTEGRATED COGNITIVE MODEL) को अपनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अनुसार, प्रारंभिक रीति-रिवाज, धार्मिक प्रतीक, बोध एवं चेतना, विकास के उप-उत्पाद (BY PRODUCT) के रूप में उभरे। बाद में चूंकि ये चयन का लाभ (SELECTION ADVANTAGE) देते थे, इसलिए ये विशेष गुण के रूप में विकसित होने लगे।

इस मॉडल में मानो दोनों एप्रोच, चयनवादी-अनुकूलनवादी (SELECTIONIST-ADAPTATIONIST) और ग़ैर-अनुकूलनवादी को संयोजित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात बजाय इसके कि धर्म की उत्पत्ति और मानव समाज में इसकी भूमिका की व्याख्या एवं औचित्य के लिए किसी अन्य ढांचे की तलाश की जाती करने के, वही अपचयी (REDUCTIVE) और विकासवादी ढांचों को मिला-जुला कर एक चूं-चूं का मुरब्बा तैयार कर लिया गया। आईसीएम पर वही सभी आपत्तियां स्वाभाविक रूप से लागू होती हैं जो दोनों दृष्टिकोणों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होती हैं।

धर्मों के विकास के आख्यानों और इनकी विचारधाराओं की संक्षिप्त समीक्षा से यह बात खुल कर सामने आ गई कि इन सभी विचारधाराओं में असाधारण ज्ञान का अंतर है, जिसे भरने के लिए असाधारण बौद्धिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी प्रयास हमारे निकट एक सापेक्षिक, अपचयी और पुरातन ढांचे में किए जा रहे हैं। इसलिए उनमें इस ज्ञान के अंतर को भरने की उम्मीद कम होती जा रही है। इसके संमुख इस्लाम का धार्मिक ढांचा हर दृष्टि से उचित एवं उपयुक्त नज़र आता है। यह संरचना इस सिद्धांत को उजागर करती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की बोधगम्य उत्पत्ति और अभिव्यक्ति से परे है। इस उत्पत्ति का रचयिता एक है। उसने सभी प्राणियों को बनाया। ये प्राणी दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के हैं। उनकी रचना के चरण और उनकी रचना की विधियों पर गहन चिंतन-मनन के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए मैदान खुला है। यह शोध सृजन के क्रियाविधिक (MECHANISTIC) पहलुओं को उजागर कर सकता है। और इस बात की गारंटी दे सकता है कि यह व्यर्थ नहीं है, और धर्मों का इस्लामी आख्यान उन व्यवहारों को अस्तित्व में ला सकता है जो समस्त मानवता के लिए लाभकारी एवं स्वास्थ्यप्रद हो सकता है।



इसके संमुख इस्लाम का धार्मिक ढांचा हर दृष्टि से उचित एवं उपयुक्त नज़र आता है। इस्लामी आख्यान उन व्यवहारों को अस्तित्व में ला सकता है जो समस्त मानवता के लिए लाभकारी एवं स्वास्थ्यप्रद है।

धर्मों की प्रामाणिकता तथा उनकी अनोखी सुंदरता को उजागर करने के लिए स्रष्टा ने विभिन्न भाषाओं में मनुष्यों में से ही चयनित लोगों को इन धर्मों के शाश्वत सिद्धांतों पर मानव जीवन को तथा संपूर्ण मानव सभ्यता को स्थापित करने के लिए भेजा और उनके मार्गदर्शन का प्रबंध किया। ■■

‘आत्मावलोकन’ के कारक



सौंदर्य बोध



संपादन प्रभाग

आत्मावलोकन (INTROSPECTION) यानी ख़ुद को जानना और अपने आप का निरीक्षण कर स्वयं को पहचानना। यह मानव का स्वभाव है कि वह कि वह सदैव दूसरों के गुणों और दोषों का अवलोकन करता है, लेकिन ख़ुद के गुण व दोष उसे कम ही नज़र आते हैं। विद्वानों का कहना है कि इन्सान को ख़ुद अपने गुण और दोष के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके ही इन्सान ख़ुद का और देश एवं समाज का सही अर्थों में विकास कर सकता है। कमियों और बुराइयों ख़ात्मा ही एक साफ़-सुथरे समाज के निर्माण की पहली शर्त है।

आत्मावलोकन का मतलब है मन के अच्छे और बुरे विचारों का मनन करना या निरीक्षण करना। मानव शरीर ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। मनुष्य के पास ही वह शक्ति है, जिससे वह आत्मावलोकन कर सकता है। इसके लिए हृदय की शुद्धता सर्वोपरि है। चित शुद्ध होने पर मनुष्य में आत्म ज्ञान आता है। प्रायः महापुरुषों की प्रसिद्धि व सफलता के पीछे उनकी आत्मावलोकन की भावना ही रही है। इस आत्मावलोकन की कोई समय-सीमा व स्थान निश्चित नहीं है हर व्यक्ति अपने अनुसार आत्मावलोकन कर सकता है और करना भी चाहिए। हमने दिन भर क्या अच्छे व बुरे काम किए, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, इस संबंध में एकांत में अपने मन में झांककर चिंतन-मनन करना चाहिए। समय-समय पर आत्मावलोकन करना एक अच्छा इन्सान बनने की प्रक्रिया है।

जिसने स्वयं को जीत लिया, ढूंढ़ लिया मानो उसने सारा संसार जीत लिया। अपने अंदर झांककर जगत और अपने जीवन के सत्य को समझना हमारे दर्शन की देन है। स्वयं को जानकर ही जग को जाना जा सकता है। जिस दिन मनुष्य आत्मावलोकन में सफल हो जाता है, उसी दिन उसकी सारी बचैनी ख़त्म हो जाती है। हमें विद्यार्थियों में भी आत्मावलोकन की भावना का जगाना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि, विवेक और स्मरण शक्ति का विकास होगा। उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। आज देश में विद्वानों और बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। लोग विचारों के धनी है पर स्वयं अपने आचरण में ज़्यादातर निर्धन हैं।

इन्सान चाहे जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन, जब तक उसका मन साफ़ नहीं हो जाता तब तक उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है।

हमारे अंदर छुपी बुराइयों और अच्छाइयों को हमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमारी स्वभाविक बुराइयां ही हमारे पतन का कारण बनती हैं, जबकि हमारे अंदर पनपने वाली अच्छी आदतें हमें तरक़्क़ी की ओर ले जाती हैं। रोज़ाना की दिनचर्या में हमें कुछ समय आत्मावलोकन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए ताकि हम ख़ुद की पहचान कर सकें। अपने भीतर छुपी ख़ूबियों को उभारकर बुराइयों को दूर करने में ही हमारे जीवन की अस्ल कामायाबी है।

आत्मावलोकन के ज़रिये हम अपनी तरक़्क़ी का रास्ता ख़ुद बना सकते हैं। अपनी बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हुए हम अपने जीवन को पूरी तरह सफल बना सकते हैं। अपने अंदर छुपी बुराइयों का ख़ात्मा करके अच्छाइयों के रास्ते पर आगे बढ़ना ही आत्मावलोकन है। अपने अंतर्मन को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि हर इन्सान अपना ख़ुद का प्रतिदिन आत्मावलोकन करे और इसके लिए थोड़ा सा वक़्त निकाले, ख़ुद को जाने और पहचानें। कहा गया है कि आत्मज्ञान महाज्ञान और यह ज्ञान आत्मावलोकन ज़रिये ही संभव है।

मैं एक अच्छा इन्सान कैसे बनूं? यह एक व्यक्तिगत सवाल है और इस पर यदि मैं अध्ययन और विचार-विमर्श करने लगूं तो मेरी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। यह मेरे आत्मावलोकन से संबंधित प्रश्न है। मैं एक अच्छा पिता कैसे बनूं? एक अच्छा व्यापारी कैसे बनूं? मैं ख़ुदा का

यह मानव का स्वभाव है कि वह कि वह सदैव दूसरों के गुणों और दोषों का अवलोकन करता है, लेकिन ख़ुद के गुण व दोष उसे कम ही नज़र आते हैं। विद्वानों का कहना है कि इन्सान को ख़ुद अपने गुण और दोष के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके ही इन्सान ख़ुद का और देश एवं समाज का सही अर्थों में विकास कर सकता है। कमियों और बुराइयों ख़ात्मा ही एक साफ़-सुथरे समाज के निर्माण की पहली शर्त है।

एक अच्छा बंदा कैसे बनूं? धर्म ने किन विषयों पर हमारा मार्गदर्शन किया है? ये ऐसे कार्य हैं जो व्यक्तिगत जीवन में हमारी बुद्धिमत्ता का विकास करते हैं।

इसी प्रकार घरेलू जीवन में हमें कैसे रहना है? दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बच्चों की सही शिक्षा और प्रशिक्षण

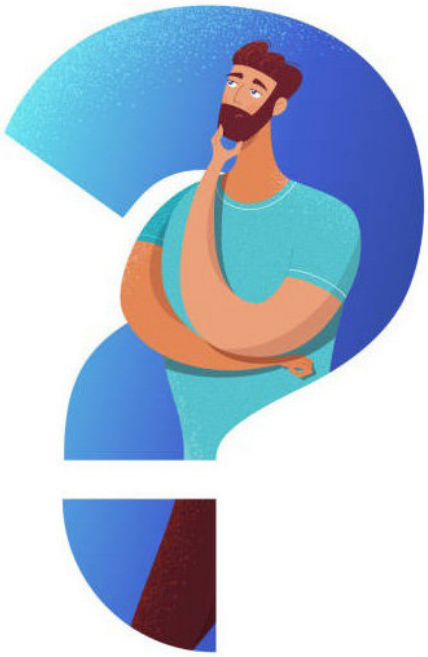

कैसा हो? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और इनका जवाब हमें खोजना होता है। इसी प्रकार से हमारा आर्थिक जीवन है, यहां भी बहुत से सवाल और प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। यहां भी रास्ते खोजने होते हैं और समाधान निकालना होता है।

जिस समाज में हम रहते हैं वहां आए दिन कठिनाइयां और समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। समस्याओं का एक अंबार है जो लगा हुआ है। हमारे मन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा देश ऐसे ही चलेगा? हमारे देश की जटिल समस्याएं क्या हैं? इस स्थिति के लिए कौन ज़िम्मेदार है? देश की आज़ादी के जो सत्तर साल हमें मिले उसे हमने कैसे इस्तेमाल किया? यहां आर्थिक तंगी और बेरोज़गारी की समस्या है। यहां महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। यहां दलितों से संबंधित समस्याएं हैं। अब जब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो यहां से निकलने की राहें क्या हैं? कैसे हम इस देश में नैतिक

मूल्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर व्यक्ति विचार-विमर्श करता है।

फिर इससे बड़े और प्रश्न हैं। यह संसार कैसे बना? इस संसार को किसने बनाया? यह संसार कब तक चलेगा? कब समाप्त हो जाएगा? कौन इसे चलाता है? हम कहां से आए हैं? इस दुनिया में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मरने के बाद हमें कहां जाना है? ये और उच्च स्तर के प्रश्न हैं। इस तरह के जो प्रश्न हमारे मन-मस्तिष्क में उभरते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, पारिवारिक और सामाजिक पर स्तर पर, उनके जवाब या समाधान खोजने के लिए हमें अध्ययन और आकलन करने की आवश्यकता है। विचार-विमर्श और परिचर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सुना और प्रशिक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी हमने जाना, उसके आधार पर मानसिक स्तर को ऊंचा उठाएं। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीक़े से प्रयास करना चाहिए।

इन्सान जब इस दुनिया में आता है तो वह एक शरीर, बुद्धि और एक आंतरिक व्यक्तित्व, आत्मा को लेकर आता है। शारीरिक विकास तो ख़ुद ब ख़ुद होता है, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए कुछ करना पड़ता है। शिक्षा के ज़रिये इन्सान दुनिया के बारे जानकारी हासिल करता है। दुनिया घूमने-फिरने और यात्रा करने से भी बहुत कुछ सीखता है। समाज का अध्ययन करने से भी उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होता है।

बौद्धिक विकास, या बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? इन्सान अपने आस-पास की दुनिया पर ग़ौर करे और सवाल



जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सुना और प्रशिक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी हमने जाना, उसके आधार पर मानसिक स्तर को ऊंचा उठाएं। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीक़े से प्रयास करना चाहिए। योजनबद्ध तरीक़े से अध्ययन, चिंतन-मनन, विश्लेषण, विवेचना और विमर्श के माध्यम से हम अपनी बौद्धिक योग्यता का विकास कर सकते हैं और आत्मावलोकन की क्षमता भी।

उठाने की योग्यता पैदा करे। सवाल खड़े करने के बाद सवालों के जवाब देने की योग्यता पैदा करे और जबाव को पाने के लिए सीखने योग्याता पैदा करे। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं।

आमतौर पर हमें जीवन के चार कार्यक्षेत्रों में बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है। दूसरे नम्बर पर हमारा घरेलू जीवन है। तीसरा हमारा आर्थिक जीवन और चौथे नम्बर पर हमारा सामाजिक जीवन होता है।

हमारा काम यह है कि हम ये देखें कि बौद्धिक स्तर पर हम कहां खड़े हैं? सवाल उठता है कि हमारी बौद्धिक योग्यता का विकास कैसे होगा? इसके लिए विभिन्न ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। समाज के जानकार और बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये सब बौद्धिक विकास के माध्यम हैं। योजनबद्ध तरीक़े से अध्ययन, चिंतन-मनन, विश्लेषण, विवेचना और विमर्श के माध्यम से हम अपनी बौद्धिक योग्यता का विकास कर सकते हैं और आत्मावलोकन की क्षमता भी। ■■

ऐ ईमान लाने वालो! तुमपर रोज़े अनिवार्य किए गए, जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर अनिवार्य किए गए थे, ताकि तुम डर रखने वाले बन जाओ।

(क़ुरआन, 2:183)



with best compliment from

J.I.H., Pakur
(Jharkhand)



'नो डिटेंशन पॉलिसी'

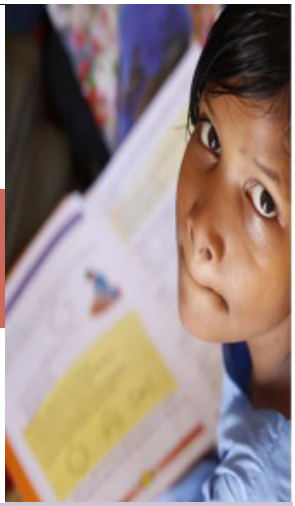

मुख्य स्तंभ

सुफ़ियान अहमद

नीति की नाकामी या शिक्षा तंत्र की विफलता ?

केंद्र सरकार ने हाल में ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सुधार कर 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त करने की घोषणा की है, जिसके तहत आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। बताया जा रहा है कि व्यावहारिक समस्याओं और नकारात्मक फीडबैक के कारण यह निर्णय लिया गया, हालांकि कुछ राज्य अभी भी इस पॉलिसी को लागू रखे हुए हैं। इस फ़ैसले ने एक बार फिर उस बहस को तेज़ कर दिया है, जो क़रीब डेढ़ दशक पहले नो डिटेंशन पॉलिसी लाने का आधार बनी थी।

सरकार के इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में ढेरों तर्क दिए जा रहे हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पक्षों पर चर्चा हो रही है। इस पूरी बह में जो बात निश्चित रूप से सामने आ रही है वह यह कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह नीति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। देहात में शिक्षा के संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता इन छात्रों को पीछे छोड़ सकती है। छोटे बच्चों पर फेल होने का डर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। यूं भी परीक्षा का फ़ोबिया सांप या फिर बब्बर शेर के फ़ोबिया से कम नहीं होता।

बताया जा रहा है कि व्यावहारिक समस्याओं और नकारात्मक फीडबैक के कारण यह निर्णय लिया गया, हालांकि कुछ राज्य अभी भी इस पॉलिसी को लागू रखे हुए हैं। इस फ़ैसले ने एक बार फिर उस बहस को तेज़ कर दिया है, जो क़रीब डेढ़ दशक पहले नो डिटेंशन पॉलिसी लाने का आधार बनी थी। सरकार के इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में ढेरों तर्क दिए जा रहे हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पक्षों पर चर्चा हो रही है।

उल्लेखनीय है कि ''नो डिटेंशन पॉलिसी'' सीधे तौर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से जुड़ी हुई है, जिसकी धारा 16 में यह प्रावधान किया गया था कि स्कूलों में आठवीं क्लास तक किसी भी बच्चे को किसी परीक्षा में फेल नहीं घोषित किया जाएगा, न ही उसका अगली क्लास में जाना रोका जा सकेगा। इसके पीछे यह सोच थी कि सभी बच्चों के लिए कम से कम आठवीं क्लास तक की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। यह देखा गया था कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े परिवारों के बच्चों में फेल होने की वजह से ड्रॉपआउट बढ़ जाता है।

अक्सर पढ़ाई में कमज़ोर ऐसे बच्चों के बारे में यह धारणा बन जाती है कि यह पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। लिहाजा उन्हें दूसरे काम में लगाने का भाव परिवार में भी ज़ोर पकड़ने लगता है और वे पढ़ाई से वंचित कर दिए जाते हैं।

नो डिटेंशन पॉलिसी के पीछे यह सोच भी थी कि बच्चे का सतत मूल्यांकन किया जाए जिससे उसे पास-फेल घोषित करने के बजाय उसकी कमियों का पता लगाकर उनका निदान करने का काम निरंतरता के साथ होता रहे। यह माना गया था कि कच्ची उम्र में बच्चे की पात्रता देखने का ख़ास मतलब नहीं क्योंकि हर बच्चा सीख सकता है। सवाल उसे सिखाने की सही प्रक्रिया ढूंढने और उसे अपनाने का है जो मूलतः शिक्षा तंत्र की ज़िम्मेदारी है।



भारत जैसे देश में शिक्षा एक अभियान है, इसके लिए अगर माकूल माहौल न बनाया जाए, तो ग़रीब व वंचित बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया नहीं जा सकता। कोई संदेह नहीं कि किसी भी अभियान में अगर समर्पित लोग आपके पास नहीं हैं, तो फिर उस अभियान की सफलता संदिग्ध हो जाती है। अभी भी यह बड़ी चिंता का विषय है कि भारत में नई पीढ़ियों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा से वंचित रहने के जो कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण ग़रीबी है। सरकारी स्तर पर सरकारों ने ग़रीब छात्रों के लिए अनेक इंतजाम किए हैं, पर इन इंतजामों का सभी छात्रों तक समान रूप से पहुंचना आसान नहीं है।

हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसमें सभी के लिए समान अवसर हों, आज भी एक बड़ी चुनौती है। जानकारों के अनुसार, शिक्षा की गुणवत्ता को चार मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है- उद्देश्य, मानदंड, विषय और मूल्य। पारंपरिक रूप से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना तथा उन्हें आजीवन सीखने के लिए तैयार करना रहा है। हालांकि, वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में इस अवधारणा को स्पष्ट करना तथा उसे प्राप्त करना और जटिल होता जा रहा है।

शिक्षा में 'गुणवत्ता' की अवधारणा बहुआयामी है। इसमें व्याख्यान, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की संरचना, छात्रों की गुणवत्ता, शैक्षणिक संस्थान, परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंधन और संस्थागत सुविधाओं की पर्याप्तता सहित कई पहलू समाहित हैं। इन सभी कारकों का सम्मिलित प्रभाव शिक्षा की समग्र गुणवत्ता निर्धारित करता है। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता को समझने के लिए हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो सभी पहलुओं पर विचार करे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित होता है, जो लिंग, नस्ल, जातीयता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करता है। हमें किसी भी दशा में समानता और सामर्थ्य की दोहरी चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही शिक्षा में सार्थक सुधार के लिए, यांत्रिक शिक्षण पद्धति से हट कर ऐसे तरीकों को अपनाना होगा, जिनमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लें और संवादात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग अनिवार्य हो।

शिक्षण विधियों की संरचना ऐसी हो जिसमें सीखने को प्रोत्साहित किया जा सके, इसमें विद्यार्थियों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा और सामाजिक ज़िम्मेदारी का संवर्धन शामिल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण होना

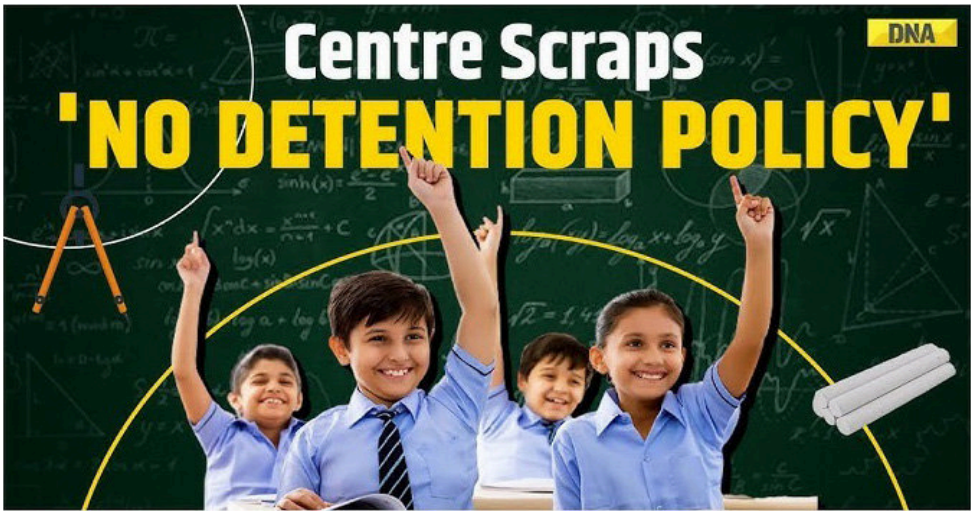

भारत जैसे देश में शिक्षा एक अभियान है, इसके लिए अगर माकूल माहौल न बनाया जाए, तो ग़रीब व वंचित बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया नहीं जा सकता। कोई संदेह नहीं कि किसी भी अभियान में अगर समर्पित लोग आपके पास नहीं हैं, तो फिर उस अभियान की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नीति के स्तर पर कोई निर्णय तभी सफल होगा जब स्कूली शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी निकाला जाए।

चाहिए जो समाज में सार्थक योगदान दे सकें। वे मानवीय और संवेदनशील हों।

इसे व्यवस्था की विडंबना ही कहा जाएगा कि आज हमारा पूरा ज़ोर देश में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय, पास/फेल प्रणाली को फिर से लागू करने पर है। इस नीति के ख़िलाफ़ मिला फीडबैक हमारे शिक्षा तंत्र की कमियों की उपज है। इस नीति को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, उसे ही समाप्त करना यह दर्शाता है कि नीति निर्धारकों ने इस फ़ैसले के दीर्घकालिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण नहीं किया। शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों का समग्र विकास होना चाहिए, न कि केवल पास या फेल पर ध्यान केंद्रित करना।

वास्तविकता यह है कि निचले स्तर पर हमें जितना सजग होना चाहिए, हम उतने सजग नहीं हो पा रहे हैं। आज हमें अपने स्कूलों को संसाधन के स्तर पर भी बहुत मज़बूत करने की ज़रूरत है। शिक्षकों और पुस्तकों की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने की ज़रूरत है। नीति के स्तर पर कोई निर्णय तभी सफल होगा जब स्कूली शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी निकाला जाए। व्यापक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके ही शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ■■

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।

स्कूली शिक्षा और नो डिटेंशन पॉलिसी

अभिमत



प्रियंका सौरभ

नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। हालांकि अब इन छात्रों को फेल किया जा सकेगा। साथ ही फेल छात्रों को 2 महीने के भीतर फिर से परीक्षा का अवसर मिलेगा। अगर इसमें भी फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो-डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार, किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता, जब तक वह कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। लेवल 8 तक के सभी विद्यार्थियों को स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा। नीति का मुख्य बिंदु यह है कि कक्षा 8 तक, पारंपरिक अर्थों में कोई "परीक्षा" नहीं होती है। समय की मांग है कि सभी पक्षों को अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए, और अब समय आ गया है कि शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रयास किए जाएं।

देश में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय, पूरा ध्यान पास/फेल प्रणाली को फिर से लागू करने पर है। समय की मांग है कि सभी पक्षों को अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए, और अब समय आ गया है कि शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रयास किए जाएं। परिणामस्वरूप, नीति में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ संशोधन किया जाना चाहिए, या इसे एक नए, अधिक संतुलित दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मुख्य लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें जीवन कौशल प्रदान करना होना चाहिए।

कक्षा 5 और 8 में छात्रों के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करना भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य छात्रों की असफलता को रोककर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना था। हालांकि, सीखने के परिणामों में गिरावट की चिंताओं

के साथ, संशोधन अकादमिक सुधार पर ज़ोर देकर पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। नो-डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने से यह सुनिश्चित होता है कि छात्र शिक्षा प्राप्त करना जारी रखें, भले ही वे अकादमिक रूप से संघर्ष करते हों, जिससे सार्वभौमिक पहुंच के सिद्धांत को बल मिलता है। जिन छात्रों को असफलता के कारण निष्कासित कर दिया जाता था, उन्हें अब परीक्षा फिर से देने और सुधारात्मक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।



असफल छात्रों को रोककर, नीति सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है, जबकि अभी भी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को प्राथमिकता देती है। कक्षा 5 में असफल होने वाले छात्रों को अब अगली कक्षा में जाने से पहले सुधार करने का मौका मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पीछे न छूट जाएं। नीति में सुधारात्मक निर्देश के प्रावधान शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी छात्र शैक्षणिक संघर्ष के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए: कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को विशेष सहायता और पुनः परीक्षा के अवसर मिलते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा प्रणाली में बने रहने में मदद मिलती है। माता-पिता संघर्षरत छात्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी बच्चों को, चाहे उनका प्रदर्शन कैसा भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

माता-पिता शिक्षकों के साथ नियमित संचार के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शैक्षणिक विफलता के कारण कोई भी बच्चा अनदेखा न हो। नीति का उद्देश्य छात्रों को सफल होने के कई अवसर देकर उन्हें शिक्षा प्रणाली में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें स्कूल छोड़ने से रोकना है। नीति परिवर्तन के बाद, कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाता है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर कम हो जाती है। नीति परिवर्तन स्कूलों को उन छात्रों की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अधिक अनुकूलित दृष्टिकोण पर ज़ोर देता है। केंद्रीय विद्यालयों में, संघर्षरत छात्रों को अब सीखने के अंतराल को दूर करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग प्रदान की जाती है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

पुनः परीक्षा प्रणाली रटने के बजाय

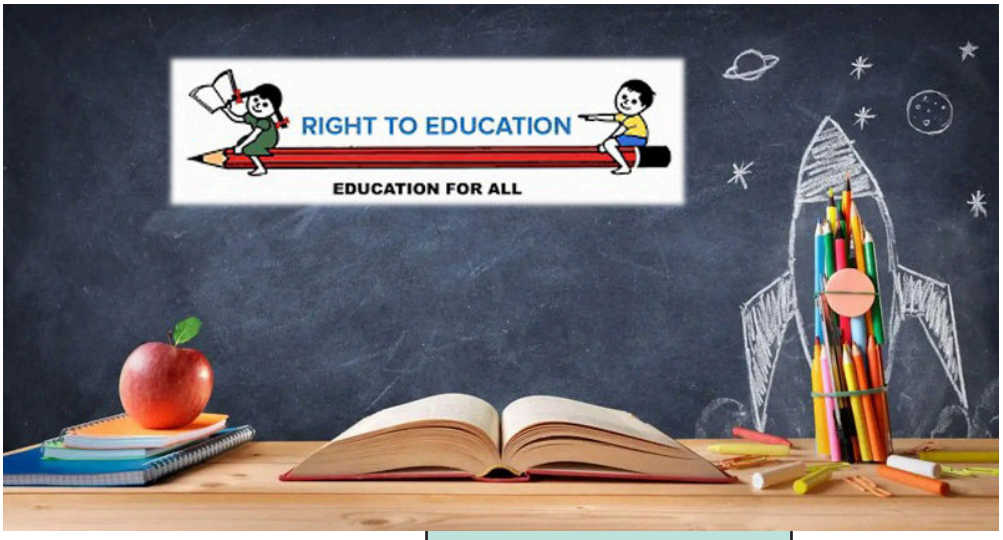

योग्यता-आधारित परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों के सीखने के परिणाम अधिक सार्थक और प्रभावशाली हों। सैनिक स्कूलों में, हाल ही में लागू की गई योग्यता-आधारित परीक्षाएं व्यावहारिक ज्ञान का आकलन करती हैं, जिससे छात्र तथ्यों को याद करने के बजाय मूल अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं। नीति यह सुनिश्चित करके समग्र विकास को बढ़ावा देती है कि असफल छात्रों को शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान मिले। दिल्ली सरकार के स्कूलों में, संघर्षरत छात्रों को समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सुधार के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन भी मिलता है। शिक्षक अब सीखने के अंतराल की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रत्येक छात्र की प्रगति में अधिक निवेश करें।

कक्षा शिक्षक अब प्रगति रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और विषयों में संघर्ष करने वाले छात्रों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं, जिससे लक्षित हस्तक्षेप रणनीतियां बनती हैं। पास होने के लिए कई मौके देकर, नीति विफलता के कलंक को कम करती है, छात्रों को लगे रहने और सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। जो छात्र पहले असफल हुए थे, वे कलंक के जोखिम में थे, लेकिन अब उन्हें दूसरा मौका दिया गया है, जिससे ड्रॉपआउट दर कम हुई है और दृढ़ता की सुविधा मिली है। जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज़ोर देकर, शिक्षण और मूल्यांकन में सुधार लाया जा सकता है।

पास होने के लिए कई मौके देकर, नीति विफलता के कलंक को कम करती है, छात्रों को लगे रहने और सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। जो छात्र पहले असफल हुए थे, वे कलंक के जोखिम में थे, लेकिन अब उन्हें दूसरा मौका दिया गया है, जिससे ड्रॉपआउट दर कम हुई है और दृढ़ता की सुविधा मिली है। जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज़ोर देकर, शिक्षण और मूल्यांकन में सुधार लाया जा सकता है।

देश में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय, पूरा ध्यान पास/फेल प्रणाली को फिर से लागू करने पर है। समय की मांग है कि सभी पक्षों को अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए, और अब समय आ गया है कि शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रयास किए जाएं। परिणामस्वरूप, नीति में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ संशोधन किया जाना चाहिए, या इसे एक नए, अधिक संतुलित दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मुख्य लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें जीवन कौशल प्रदान करना होना चाहिए। (साभार, KHASKHABAR.COM) ■■

“

जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे अलग हैं- जारी रहने वाला सदक़ा या ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे।

(हदीस : मुस्लिम)

”

A Well Wisher

Al-Shifa Medicose,
Bareilly, (UP)

पास-फेल की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लक्ष्य बनाएं



कक्षा 5 और 8 में छात्रों के लिए "नो-डिटेंशन पॉलिसी" को ख़त्म करना भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। इस पॉलिसी को ख़त्म करने के फ़ैसले का परिणाम भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन फ़िलहाल यह सवाल तो बना ही हुआ है कि क्या इस पॉलिसी के ख़िलाफ मिला फीडबैक हमारे शिक्षा तंत्र की कमियों की उपज है ? और क्या इस पॉलिसी को छोड़ने में सचमुच जल्दबाज़ी हुई है?

जानकारों ने इस संशोधन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका उपेक्षित समुदायों के छात्रों, विशेषकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और इस नीति के नकारात्मक प्रभाव होंगे। इस तरह के दंडात्मक उपाय लागू करने के बजाय सरकार को स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

कक्षाओं को "सक्रिय शिक्षार्थियों की कक्षाओं" में बदलने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रशिक्षण में आनन्दपूर्ण शिक्षा की अवधारणा को क्रियान्वित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के शैक्षिक



अनुभव और परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बाल-केंद्रित शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह अपनाया जाना चाहिए। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली के क्रियान्वयन से प्राप्त किया जा सकता है, जो केवल रटने के बजाय छात्रों की समग्र प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है।

मूल्यांकन प्रणाली में सीखने की क्षमताओं और व्यावहारिक जीवन कौशल पर जोर दिया जाना चाहिए। इस संशोधन से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन स्कूलों में अक्सर अतिरिक्त ट्यूशन और सहायता सेवाओं का अभाव होता है, जिससे ऐसे छात्रों को और अधिक नुकसान होगा तथा असमानताएं बढ़ेंगी।

इस नीति के कारण स्कूल छोड़ने वालों की दर में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि असफल होने वाले छात्रों को सामाजिक कलंक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसी भी नीति के प्रभावी

होने के लिए सभी छात्रों को समान सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस नीति से निजी स्कूलों के प्रति प्राथमिकता बढ़ने और सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास कम होने का ख़तरा है। सरकार को शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने से बचना चाहिए और इसके बजाय सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

छात्रों को दंडित करने के बजाय, सरकार को सरकारी और ख़राब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली को पुनः लागू किया जाना चाहिए, इससे विद्यार्थियों को आयु-उपयुक्त एवं प्रभावी शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना न केवल क़ानूनी दायित्व है, बल्कि सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी भी है।

निसंदेह शिक्षा एक व्यापक लक्ष्य है, जिसमें स्कूली शिक्षा की अहमियत सबसे ज़्यादा है। स्कूली शिक्षा बच्चों के अंदर विचार और विवेक को विकसित करती है। इसलिए स्कूली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में मौलिक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति, तथा सौन्दर्य बोध की समझ को विकसित कर सके। स्कूली शिक्षा का लक्ष्य बच्चों में वांछनीय गुणों का विकास करना होना चाहिए।

शिक्षा के उद्देश्यों का सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज के समस्त छात्रों से है। इन उद्देश्यों का निर्माण अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण है। समाज की उन्नति



अथवा अवनति शिक्षा पर ही निर्भर करती है। जिस समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है, वह समाज वैसा ही बन जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनना होता है।

जानकारों ने इस संशोधन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका उपेक्षित समुदायों के छात्रों, विशेषकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और इस नीति के नकारात्मक प्रभाव होंगे। इस तरह के दंडात्मक उपाय लागू करने के बजाय सरकार को स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

शिक्षा वही सार्थक है, जो बौद्धिक, शारीरिक और व्यावहारिक स्तर पर जीवन को सक्षम और बेहतर बना सके। शिक्षा का उद्देश्य कुछ किताबों या कुछ अध्यायों को रटना कदापि नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के सीखने की क्षमता और प्रवृत्ति का विकास करना है। इसलिए शिक्षा व्यावहारिक और रुचिकर होनी चाहिए, जिससे वह बच्चों को सीखने की दिशा में प्रेरित कर सके।

हमारी आज की शिक्षा पद्धति किताबों को रटने पर आधारित है और

यही कारण है कि शिक्षा के उपरांत बहुत कम शिक्षार्थी ऐसे होते हैं, जो व्यवसाय या नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार हो पाते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज भी सबसे ज्यादा ज़ोर अंकों पर दिया जाता है, न कि सीखने और अधिक से अधिक नॉलेज हासिल करने पर। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अधिकतर शिक्षा कक्षा तक ही सीमित है और कक्षा के बाहर के बाहर सीखने की गतिधियों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जबकि होना ठीक इसका उल्टा चाहिए। सीखने के अवसर कक्षा से बाहर की गतिविधियों में अधिक हैं, न कि सिर्फ़ कक्षा में। इस अनुपात को बदलकर ही हम शिक्षा को उपयोगी बना सकते हैं।

जीवन में प्रासंगिकता का बहुत महत्व है। आज के समय में जब संसार का सारा सूचना भंडार गूगल की एक क्लिक पर उपलब्ध है और जब प्रत्येक बच्चे के हाथ में स्मार्ट-फोन और कंप्यूटर है, तो ऐसे में सूचनाओं को रटने की क्षमता को पुरस्कार देना किस तरह की प्रासंगिकता है। सूचना और तकनीक में प्रतिदिन और प्रतिपल विकास और बदलाव हो रहे हैं।

इतिहास, गणित, मानव व प्रकृति संरचना और यहां तक की भूगोल जैसे विषयों में भी आए दिन नई खोजें हो रही हैं, इन्हें किताबों के माध्यम से प्रतिवर्ष बदलना संभव नहीं होगा, जो कल प्रासंगिक था, आज शायद नहीं है फिर उसे रटने का क्या औचित्य है। उसे तो समझना और सीखना ही प्रासंगिक है।

आज के समय में शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसकी तकनीक में बदलाव की आवश्यता महसूस की जा रही है। शिक्षा की तकनीक से अभिप्राय पढ़ाने के ढंग और पढ़ाने में टेक्नोलॉजी के प्रयोग, दोनों से है। पढ़ाने के ढंग से तात्पर्य शिक्षा को रुचिकर बनाने से है। उसमें चित्रों, प्रेरक कहानियों और व्यावहारिकता का अधिकतम समावेश करना होगा। ऐसी शिक्षा को विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे उसे आसानी से सीख लेंगे।

सीखने की प्रक्रिया में प्रैक्टिकल का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए अब समय आ गया है कि स्कूली शिक्षा के लिए हम इस तरह के अनुभवों के आधार पर नई शिक्षा पद्धति तैयार करें, जिसमें प्रैक्टिकल पर ज़ोर हो। जब ऐसा होगा तो बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास होगा और वे सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सफल होंगे।

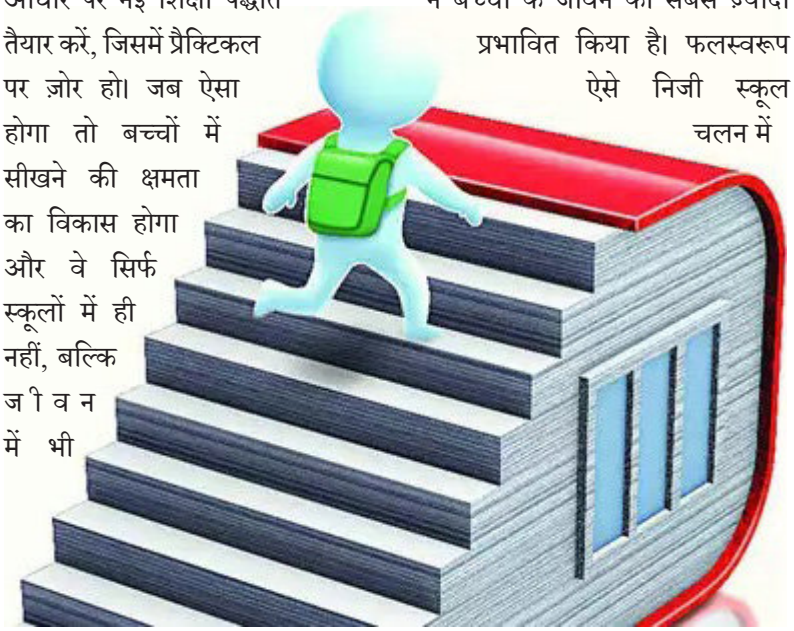

हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। पहला, सार्वजनिक स्कूलों का कम होना और दूसरा, सार्थक यानी क्वालिटी अध्यापकों की कमी।

हमारा देश एक जनसंख्या प्रमुख देश है और इसलिए इसके अंदर एक प्रतिभा-प्रमुख देश बनने की असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का सच होना केवल 'सर्वशिक्षा' और उससे भी अधिक 'सही शिक्षा' पर निर्भर है। समय आ गया है कि हम शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएं।

शिक्षा का आम होना किसी समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब शिक्षा का लक्ष्य मात्र रोज़गार हासिल करना या पैसा कमाना बन जाए, तो फिर शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। वर्तमान समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि सभी महज़ रोज़गार के लिए शिक्षा हासिल करते हैं।

आज की भौतिकवादी सोच ने बच्चों के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। फलस्वरूप ऐसे निजी स्कूल चलन में आते गए जहां बच्चों को कारोबारी सोच के हवाले कर दिया गया और बच्चे शिक्षा के असल लक्ष्यों से दूर हो गए। यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चे आत्मविश्वास खो बैठते हैं और आगे जीवन के मैदान में सफल नहीं हो पाते। जब शिक्षा का लक्ष्य मात्र रोज़ी-रोटी और जीवन के ऐशो-आराम हासिल करना बन जाए, तो वह अपने असल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती। ■■

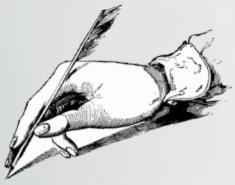

कविता

आदमी बनकर जियो

गिरिराज शरण अग्रवाल

धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो
घुप अंधेरा छा न जाए, रोशनी बनकर जियो

फूल बन-बन कर बिखरती है, तपन देती नहीं
आग बनकर ख़ाक जीना, फुलझड़ी बनकर जियो

आज तक जीते रहे हो, अपनी-अपनी ज़िंदगी
दोस्तो! इक-दूसरे की ज़िंदगी बनकर जियो

ओस की बूंदों में ढलकर तुम अगर बिखरे तो क्या
दूर तक बहती हुई शीतल नदी बनकर जियो

आदमी के रूप में पैदा हुए तो क्या हुआ ?
बात तो तब है कि सचमुच आदमी बनकर जियो

****

माननीयों की मर्यादा

मंथन



डॉ. प्रदीप कुमार

जब समाज या राजनीति में अनुशासन, शालीनता और मर्यादित आचरण की जगह स्वेच्छाचारिता, स्वछंदता ले ले और ऐसे आचरण को समाज या नेतृत्व पुरस्कृत करने लगे, तो यह बीमारी सीमा तोड़कर शीर्ष संस्थाओं तक पहुंच जाती है। ज़िम्मेदार पदों पर क़ाबिज़ लोगों का आचरण समाज के लिए प्रभावकारी माना जाता है। इस क्रम में न्यायपालिका की दुनिया में किसी जज का आचरण समाज के लिए बहुत संवेदनशील होता है।

जब समाज या राजनीति में अनुशासन, शालीनता और मर्यादित आचरण की जगह स्वेच्छाचारिता, स्वछंदता ले ले और ऐसे आचरण को समाज या नेतृत्व पुरस्कृत करने लगे, तो यह बीमारी सीमा तोड़कर शीर्ष संस्थाओं तक पहुंच जाती है। ज़िम्मेदार पदों पर क़ाबिज़ लोगों का आचरण समाज के लिए प्रभावकारी माना जाता है। इस क्रम में न्यायपालिका की दुनिया में किसी जज का आचरण समाज के लिए बहुत संवेदनशील होता है।

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों के जजों का कोई भी आचरण, चाहे जज के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में, अगर जन-विश्वास के भाव को कमज़ोर करे, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाएगी।

जज के पद पर बैठे शख्स से उम्मीद की जाती है कि अपने विचारों और बर्ताव से समाज में एकजुटता और विश्वास बढ़ाने का काम करेगा। व्यक्तिगत राय या पसंद-नापसंद सार्वजनिक रूप से रखने में परहेज करेगा। उससे उम्मीद की जाती है कि वह पूर्वाग्रहों और वैमनस्यता फैलाने वाले विचारों से ख़ुद को मुक्त रखेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का हालिया बयान किसी महत्वपूर्ण सवैंधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणियों की ताज़ा मिसाल है। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने ख़ुद आगे बढ़ कर मामले में हस्तक्षेप कर इस विवादित मामले की छींटे न्याय व्यवस्था पर पड़ने से बचाने का काम किया, लेकिन सवाल उठता है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा शख़्स भी इस प्रकार की टिप्पणियां क्यों करता है?

जिस तरह सत्ता पक्ष विपक्षियों और विरोधी विचारधाराओं वालों को हाशिए में ढकेलता है, उसे देख लाभ के लोभ में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी सरकार के सुर में सुर मिला कर अपना भविष्य संवारने की जुगत में शामिल हो जाते हैं।



पूर्व न्यायाधीशों को मिलने वाले विभिन्न संवैधानिक या सरकारी पद आकर्षण के केंद्र बनते हैं। राजनीतिक दल पक्षपात करते हुए उन्हें चुनावी टिकट देते हैं और उनके विवादित होने का लाभ लेने का भरपूर प्रयास करते हैं।

प्रजातंत्र के चार मूल तत्व होते हैं—बहुमत से शासन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक सरकार और संवाद के जरिए गवर्नेंस। इनमें से किसी एक को कमतर करते ही प्रजातंत्र की इमारत ढह जाएगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसीलिए 'हम भारत के लोग' लिखा है न कि 'हम बहुसंख्यक'। जस्टिस यादव का यह कथन कि ''हिन्दुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छानुसार चलेगा'' उनके अमर्यादित आचरण के साथ-साथ उनकी सवैंधानिक समझ का भी परिचायक है।

ऐसा कहते वक्त वह भूल गए कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार हैं। वह यह भी भूल गए कि उनको पद की शपथ उसी संविधान में निष्ठा की दिलाई गई थी न कि बहुसंख्यकों में उनकी 'निष्ठा' के आधार पर संविधान की आधारभूत संरचना को बदला नहीं जा सकता। जज साहब ने अस वर्सेज देम (हम बनाम वो) के द्वंद्व की भाषा में बोलते हुए 'हमारे बच्चे और उनके बच्चे' की तुलना की। वह शायद भूल गए कि उन्हें पद पर उनके किसी एक धर्म-विशेष के होने की वजह से नहीं बैठाया गया है और उनके वेतन और सुविधाओं का खर्च भी हिंदू और मुसलमान दोनों के टैक्स से दिया जाता है। ऐसे पाक्षिक भाव की अभिव्यक्ति से न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम होता है। जजों के ऐसे उद्गार देश के भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अदालतें राजनीतिक या सामाजिक गोलबंदी से अलग और ऊपर होती हैं, इसलिए विवादों पर निर्णय देने का भारी दायित्व उन्हें संभालना पड़ता है, किंतु इसके लिए जरूरी है कि वे अपनी निष्पक्ष छवि को लगातार बरकरार रखें। दुर्भाग्यवश,

आज हमारी न्यायपालिका के सामने पहले से कहीं अधिक जटिल हालात हैं। हमारी सांप्रदायिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जटिलताओं के चलते हमें दूसरे देशों से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे जजों को चाहिए कि वे क़ानून और न्याय पर अपने मानवीय स्वार्थ या दुर्बलता को हावी न होने दें।

हमारी अदालतों की ओर से आ रही कुछ ग़ैर-ज़रूरी और न्यायिकेतर टिप्पणियों से न्याय तंत्र की छवि प्रभावित हो रही है।

ऐसे में ज़रूरी है कि जजों या अदालतों की टिप्पणियों का गहरा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी ओर कान किए रहते हैं। अदालती टिप्पणियों को समाज में नज़ीर की तरह पेश किया जाता है। गिनाने के लिए बहुत-सी टिप्पणियां हैं, जिनका मुकदमे के गुण-दोष से कोई संबंध नहीं है। ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की टिप्पणियों से साख पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता ?

आज के समय में लोग सब कुछ देखते और समझते हैं। न्यायमूर्तियों को निष्पक्ष होने और निष्पक्ष नज़र आने के लिए शब्दों के प्रति ही नहीं,

बल्कि आचरण के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। उनकी समझदारी पूरी न्यायपालिका के सम्मान को नई ऊंचाई पर ले जाती है।

अदालतों को विधिक ताक़त भले ही संविधान से मिलती हो, किंतु उनको मूल ताक़त तो उनकी अपनी निष्पक्षता और संवेदना से मिलती है। तेज़ी से बदलते हुए आज के दौर में यह बहुत जरूरी है कि गरिमामय आचरण और न्यायपूर्ण टिप्पणियों की मिसाल क़ायम रहे। जन-विश्वास अदालतों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भरोसा टूटने पर समाज को अपूरणीय क्षति होती है।

आज हमारी न्यायपालिका के सामने पहले से कहीं अधिक जटिल हालात हैं। हमारी सांप्रदायिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक



जटिलताओं के चलते हमें दूसरे देशों से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः संविधान व अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के साथ ही, उसे और मज़बूत करने के लिए दुनिया के न्यायिक घटनाक्रमों से सबक़ लेने की ज़रूरत है।

जजों के मर्यादित आचरण की पहली संहिता 7 मार्च 1997 में बनी। इसका पहला नियम है, जज का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता में जन-विश्वास को पुख्ता करने वाला होना चाहिए; इस कोड को मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अंगीकार किया। इन्हीं बिंदुओं पर सन् 2002 में बैंगलोर सिद्धांत बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अंगीकार किया। इसमें न्यायपालिका के लिए छह आदर्श बताए हैं- स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, मर्यादा, समता तथा कर्मठता। इसमें कहा है कि जज का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनता, वादियों और क़ानूनी पेशे के लोगों का उस जज और न्यायपालिका की निष्पक्षता में विश्वास और मज़बूत हो।

इसलिए जजों को चाहिए कि वे क़ानून और न्याय पर अपने मानवीय स्वार्थ या दुर्बलता को हावी न होने दें। ■■

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं। : 9808080806

एक अपील , एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़

38 साल की ख़िदमात

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना, गया



कैफ़ीयते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था।

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती (Residential) तालीमगाह जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बीयती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे में रहकर नर्सरी से मैट्रिक तक की तालीम, होम साइंस, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई •सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ **यतीम तालिबात की तादाद** 75 **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं । **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च पच्चीस हज़ार रुपये (Rs. 25,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों । **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 तदरीसी और ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ की एक माह की तनख़्वाह एक लाख पच्चास हज़ार रुपये (Rs.1,50,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन चालीस लाख रुपये (Rs. 40,00,000) । **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस महंगाई को देखते हुए और रमज़ान के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत You Tube (Nazr-e-Enayeth) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता : चैक व ड्राफ़्ट और मनीआर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE, At • : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.Com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

: Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
(Bank A/C No. : 300402010007752 (ज़कात
(Bank A/C No. : 300402010009846 (डोनेशन
Bank IFSC Code No : UBIN0530042
Bank : UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इज़ाज़ी जनरल सेक्रेट्री इक़बाल अहमद ख़ां 9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सद्र) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229

जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

विधान

जितेंद्र गौतम

दहेज क़ानून की फांस

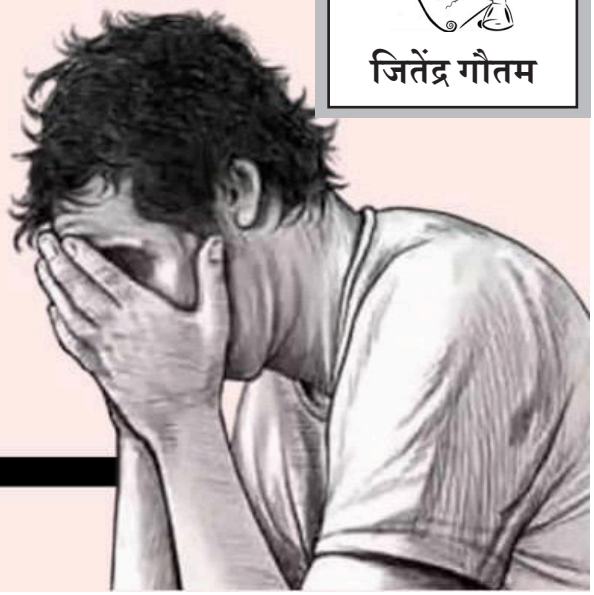

बेंगलुरु में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के साथ एक युवा दांपत्य जीवन की जैसी गिरहें खुलकर सामने आईं, उनसे वैवाहिक जीवन को लेकर एक देशव्यापी बहस छिड़ गई। अतुल ने 24 पेज का सुसाइड नोट और एक घंटे 21 मिनट का इकबालिया वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। अतुल पर उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा था। आरोप लगाने वाली ने अपने पति के साथ ही, अपने ससुर, सास और देवर को भी मुक़दमे में घसीट रखा था।

अतुल के सुसाइड नोट से पता चलता है कि वह भीतर से कितना टूट गया था। उनके आरोपों ने न्याय तंत्र की असंवेदनशीलता को तो उजागर किया ही साथ ही दहेज विरोधी क़ानूनों एवं विवाह संस्था से जुड़ी बहसों को एक नया रुख दे दिया है।

दहेज के लेन-देन को रोकना ज़रूरी है और इसी काम के लिए क़ानून को बहुत कड़ा बनाया गया है और महिलाओं को शिकायत व सुनवाई के लिए पूरी शक्ति प्रदान की गई है। ज़्यादातर मामलों में यह क़ानून महिलाओं की मुक्ति और न्याय सुनिश्चित करता है, पर बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जहां इसके दुरुपयोग की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी ख़राब हो गई। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अकेले वर्ष 2021 में 81 हज़ार से ज़्यादा विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 35 फ़ीसदी पारिवारिक विवाद और फर्ज़ी मुक़दमों से पीड़ित थे।

दहेज क़ानून के आधार पर केवल एक पंक्ति के आरोप से कई लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं। आरोपियों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि हर लिहाज से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में 70 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की महिलाएं जेलों में बंद हैं। अधिकतर महिलाएं केवल इसलिए बंद हैं, क्योंकि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उनका नाम लिखवाया गया था मतलब, यह क़ानून महिलाओं की भी प्रताड़ना का कारण बन रहा है। दहेज के अनेक मामलों में सीधे जेल जाना पड़ता है और ज़मानत भी नहीं मिलती।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही अनेक अवसरों पर दहेज विरोधी क़ानून-भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए या अब नई धारा 86 के दुरुपयोग की बात कह चुका है। ज़ाहिर है, न्यायिक स्तर पर भी यह बात छिपी नहीं है कि इस क़ानून का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए होने लगा है। दहेज की शिकायत करके पूरे परिवार को दबाव में लाने की ग़लत

दहेज के लेन-देन को रोकना ज़रूरी है और इसी काम के लिए क़ानून को बहुत कड़ा बनाया गया है और महिलाओं को शिकायत व सुनवाई के लिए पूरी शक्ति प्रदान की गई है। ज़्यादातर मामलों में यह क़ानून महिलाओं की मुक्ति और न्याय सुनिश्चित करता है, पर बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जहां इसके दुरुपयोग की वजह से पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो गई। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अकेले वर्ष 2021 में 81 हज़ार से ज़्यादा विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 35 फ़ीसदी पारिवारिक विवाद और फ़र्ज़ी मुक़दमों से पीड़ित थे।



प्रथा गांव-गांव तक पहुंच गई है।

जानकारों का मानना है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए क़ानून को एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बेशक, इस क़ानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही जांच की ज़रूरत होती है, पर शायद यह काम पुलिस ढंग से नहीं कर रही है। दहेज के हज़ारों मामलों में पुलिस वास्तव में सच्चाई का नहीं, बल्कि आरोपों का पीछा करती है और नए-नए मुक़दमे बनते चले जाते हैं। शिकायतों में अक्सर अतिरंजित और निराधार आरोप शामिल होते हैं। दूर के रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है।

यहां दहेज क़ानूनों के दुरुपयोग की आलोचना का यह अर्थ नहीं है कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से बचना चाहिए। महिलाओं को समझना होगा कि यह क़ानून पति और उसके परिवार से बदला लेने के लिए नहीं बनाया गया है। क़ानून महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि महिलाएं इस अच्छे क़ानून के दम पर अन्याय का कारोबार शुरू कर दें। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में दहेज प्रताड़ना के 80 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। अदालतों ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ़्तार करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जांच के बाद ही गिरफ़्तारी की जाए।

दहेज विरोधी क़ानूनों को बनाने के पीछे भावना यह थी कि वास्तविक दोषियों के ख़िलाफ ही क़ानून का इस्तेमाल होना चाहिए। न्यायिक और सर्वविदित अनुभव है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवाद में अक्सर पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति बन गई है। यह परिवार और विवाह संस्था के लिए चिंता की बात है।

पुलिस कई बार कहती है कि वह तो क़ानूनन कार्रवाई करने के लिए

दहेज क़ानूनों के दुरुपयोग की आलोचना का यह अर्थ नहीं है कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से बचना चाहिए। महिलाओं को समझना होगा कि यह क़ानून पति और उसके परिवार से बदला लेने के लिए नहीं बनाया गया है। क़ानून महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि महिलाएं इस अच्छे क़ानून के दम पर अन्याय का कारोबार शुरू कर दें। न्यायिक और सर्वविदित अनुभव है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवाद में अक्सर पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति बन गई है। यह परिवार और विवाह संस्था के लिए चिंता की बात है।



THE GREAT KERALA INEQUALITY

बाध्य है, जबकि न्यायप्रियता और मानवीयता का प्राथमिक परिचय पुलिस को ही देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि कानून के दुरुपयोग को शुरुआत में ही रोकना होगा।

ध्यान रखने की बात यह है कि न्याय ज़रूरी है, ताकि उस पर समाज मज़बूती से टिका रहे। न्याय के मामले में किसी भी व्यक्ति को पुरुषों और महिलाओं का अलग-अलग वर्गीकरण करके नहीं चलना चाहिए। अपराधी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी।

ज़ाहिर है, इसके लिए पुलिस को मुकदमा लिखते या बनाते समय ही सावधानी बरतनी होगी। यह भी शोध का विषय है कि दहेज के झूठे मामलों से निपटने में पुलिस की सफलता का अनुपात क्या है? ठोस साक्ष्यों या पुख्ता आरोपों के बगैर सामान्य या व्यापक आरोप आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकते।

दहेज प्रताड़ना के अलावा एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो, रेप, शराब, जुआ, डकैती की योजना बनाने जैसे मामलों में पुलिस कई बार फर्जी एफआईआर भी दर्ज करती है, लेकिन फ़र्ज़ी मामलों में जुर्माना और सज़ा की कार्रवाई नहीं होने से आपराधिक मुकदमों की बाढ़ से युवाओं में गुस्सा और हताशा बढ़ रही है। नए आपराधिक क़ानूनों के साथ न्याय-सेतु ई-समन, ई-साक्ष्य जैसे टूल्स के आधार पर सरकार जल्द न्याय के सिस्टम का दावा कर रही है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था की ख़ामियों को दूर किए बगैर लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है। ■■

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Sermad Traders

Agriculture Input Dealer

B.H. Road, Tarikere, Chikkamagalore District



جس کو اللہ ہدایت دینے
کا فیصلہ کرتا ہے اس کے
سینے کو اسلام کے لیے
کھول دیتا ہے۔ (مشکوۃ)

इबारत

संपादन प्रभाग

महान उपहार

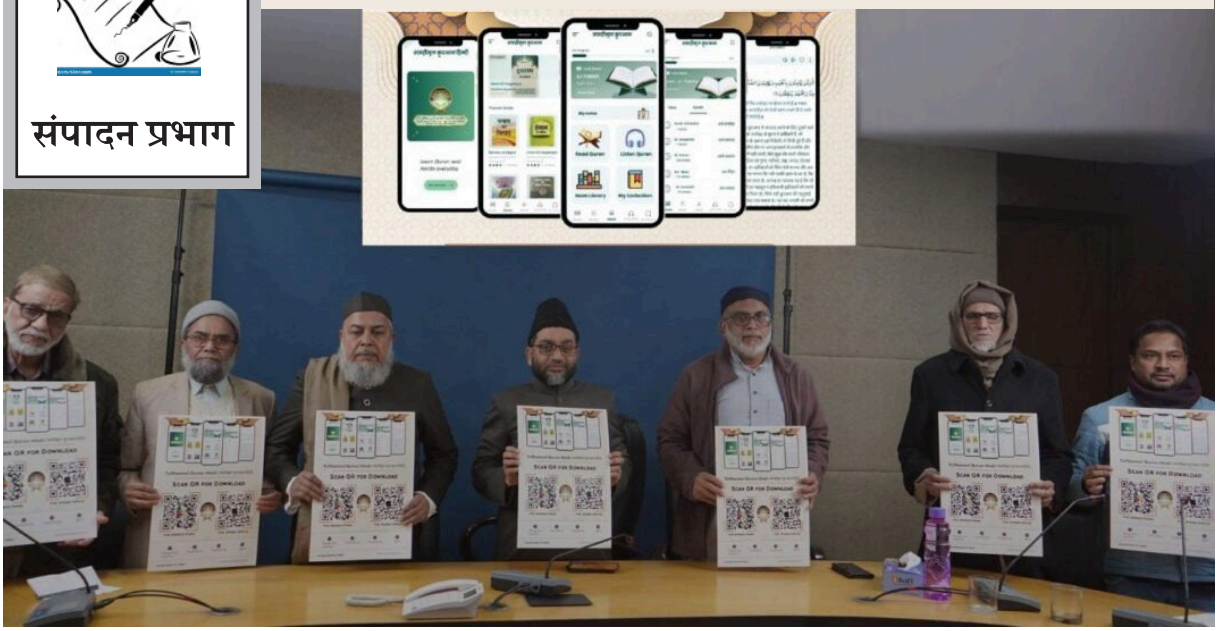

आजकल इस्लाम मुसलमानों का एक जातीय धर्म बनकर रह गया है, मुहम्मद (सल्ल.) को मुसलमानों का एक जातीय लीडर और पेशवा समझ लिया गया है और क़ुरआन को केवल मुसलमानों के एक पवित्र ग्रन्थ की हैसियत दे दी गई है। इस भ्रान्ति का परिणाम यह है कि ग़ैर-मुस्लिमों के मन में इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध चेतन या अचेतन रूप से एक जातीय और धार्मिक पक्षपात बैठ चुका है। एक ग़ैर-मुस्लिम एक तो क़ुरआन मजीद की शिक्षा से परिचय प्राप्त करने का कष्ट ही नहीं करता और यदि वह कभी इसके लिए तैयार भी होता है तो एक अपरिचितता और परायेपन का आवरण उसके नेत्रों के समक्ष बाधक बन जाता है और यदि वह उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो यह समझता है कि वह अपनी नहीं किसी पराई पुस्तक की ओर हाथ बढ़ा रहा है।

परन्तु वास्तविकता सर्वथा इसके प्रतिकुल है। क़ुरआन सम्पूर्ण जगत् के पालनहार ईश्वर की ओर से सम्पूर्ण मानव जाति को प्रदान किया गया एक महान उपहार है। इसलिए क़ुरआन मानव-जाति की एक संयुक्त आध्यात्मिक सम्पत्ति है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल, वायु और प्रकाश प्रत्येक जन के लिए संयुक्त भौतिक पूंजी है। कोई भी व्यक्ति, श्रद्धाभाव से न सही, केवल न्याय एवं सत्यवादिता की दृष्टि से, यदि क़ुरआन का अध्ययन कर ले तो वह उसकी व्यापक, सार्वकालिक, अनादिकालिक और सार्वभौमिक शिक्षा का अन्दाज़ा बड़ी ही आसानी से कर सकता है।

क़ुरआन सम्पूर्ण जगत् के पालनहार ईश्वर की ओर से सम्पूर्ण मानव जाति को प्रदान किया गया एक महान उपहार है। इसलिए क़ुरआन मानव-जाति की एक संयुक्त आध्यात्मिक सम्पत्ति है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल, वायु और प्रकाश प्रत्येक जन के लिए संयुक्त भौतिक पूंजी है। कोई भी व्यक्ति, श्रद्धाभाव से न सही, केवल न्याय एवं सत्यवादिता की दृष्टि से, यदि क़ुरआन का अध्ययन कर ले तो वह उसकी व्यापक, सार्वकालिक, अनादिकालिक और सार्वभौमिक शिक्षा का अन्दाज़ा बड़ी ही आसानी से कर सकता है।

इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए गत दिनों मौलाना सैयद अबुल आला मौदुदी द्वारा लिखित क़ुरआन की हिंदी व्याख्या के लिए एक ऐप, तफ़हीमुल क़ुरआन (हिंदी), को जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच) के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्ला हुसैनी द्वारा लॉन्च किया गया। क़ुरआन की सरल व्याख्या प्रस्तुत करने वाला यह हिंदी ऐप जमात-ए-इस्लामी हिंद से संबद्ध संगठन "इस्लामी साहित्य ट्रस्ट" द्वारा विकसित किया गया है।

नई दिल्ली स्थित जमात के केन्द्रीय मुख्यालय में आयोजित लॉन्च के इस अवसर पर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने सभी ट्रस्टियों और ऐप डेवलपर यूसुफ़ अमीन को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि मौलाना मौदूदी ने इस व्याख्या को लिखने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने बताया कि तफ़हीमुल क़ुरआन तैयार करने में मौलाना मौदूदी ने जर्मन भाषा सीखी, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया और व्याख्या तैयार करने से पहले कई अन्य विचारों और दर्शन का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह "इस्लामी साहित्य ट्रस्ट" द्वारा चलाया जा रहा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसे यथासंभव लोकप्रिय बनाने की ज़िम्मेदारी व्यक्त की, ताकि यह न केवल मुसलमानों तक बल्कि हिंदी भाषी दुनिया के सभी लोगों तक पहुंच सके।

तफ़हीमुल क़ुरआन का हिंदी अनुवाद मौलाना नसीम अहमद ग़ाज़ी फ़लाही ने किया। कार्यक्रम के दौरान मौलाना ग़ाजी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि छह खंडों वाली इस व्याख्या के अनुवाद में लगभग 12 साल लगे। उन्होंने यह भी बताया कि अनुवाद में क़ुरआनिक शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या और पैग़ंबर मुहम्मद (सल्ल.) की हदीसों के संदर्भ शामिल हैं।

ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. फ़रहत हुसैन ने बताया कि ऐप में तफ़हीमुल क़ुरआन सारांश (तलख़ीस) का हिंदी अनुवाद भी शामिल है, जिसे मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही ने तैयार किया था और मौलाना क़ौसर यज़दानी नदवी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट की योजना और भी धार्मिक पुस्तकों को डिजिटल रूप में लाने की है।

इस ऐप में क़ुरआन का पूरा पाठ, उसका हिंदी अनुवाद और मौलाना मौदूदी की हिंदी में व्याख्या शामिल है। अनुवाद और व्याख्या दोनों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन सुनने का विकल्प केवल अनुवाद के लिए ही उपलब्ध है। इस ऐप को एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे प्ले स्टोर से Tafheemul Quran Hindi टाइप करके डाउनलोड किया जा सकता है। ■■



ऐप को डाउनलोड करने के लिए Play Store या Apple Store पर सर्च करें: "Tafheemul Quran Hindi" और दिए गए Logo के जरिए सही ऐप पहचानें।

विविधा

पूजा स्थल अधिनियम पर न्यायालय का ठोस आदेश

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पूजा स्थल कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है।

कुछ बिंदु –

- **11 सितंबर 1991 को संसद ने देश को सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिए पूजा स्थल अधिनियम पारित किया था।**
- **यह कानून किसी भी पूजा स्थल को देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति से बदलने पर रोक लगाता है। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद को इससे छूट दी गई थी।**



- **तीन दशक बाद 2019 में अयोध्या मामले पर निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने पूजा स्थलों में अधिनिमय की अनिवार्यता पर विस्तार से बात की थी। न्यायालय ने कहा था कि यह संविधान में दी गई भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को बनाए रखने का विधायी साधन है।**
- **हाल ही में उत्तरप्रदेश के संभल में मस्जिद में मंदिर ढूंढने के प्रयास हुए हैं। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तीन जजों की बेंच ने पूजा स्थलों के खिलाफ आगे के मुकदमों पर रोक लगा दी है। लंबित मुकदमों पर रोक नहीं लगाई है।**
- **साथ ही, आदेश दिया है कि कोई भी न्यायालय पूजा स्थल के सर्वेक्षण या इससे जुड़ा कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा।**

पूजा स्थल अधिनियम नागरिकों को व्यर्थ के विघटन से बचाने का अच्छा प्रयास है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

प्रिय भाइयो और बहनो !

साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह नया साल आपके परिवार के लिए सच्ची सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आए। आइए, मिलकर ये संकल्प दोहराएं कि हम समाज में

- शांति, प्रेम, आपसी विश्वास और सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाएंगे।
- न्याय की स्थापना करेंगे और सभी समुदायों के बीच समझ और संवाद के पुल बनाकर सांप्रदायिक नफरत को समाप्त करेंगे।
- आपसी सम्मान और संवाद को बढ़ावा देकर लोगों के बीच विश्वास और भाईचारे को पुनर्स्थापित करेंगे।
- हर नागरिक, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की गरिमा को बनाए रखेंगे।
- यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय, शांति, समानता, समृद्धि और नैतिकता हमारे देश की पहचान बन जाए।
- हम सर्वशक्तिमान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि
- देश के हर हिस्से, विशेषकर मणिपुर में, स्थायी शांति और सौहार्द क़ायम हो। फ़िलीसतीन में जनसंहार समाप्त हो और वहां के नागरिकों को उनके अधिकार मिलें।
- यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त हो और विश्व के हर कोने में स्थायी शांति स्थापित हो।

आइए, इस साल को आशा और सकारात्मकता का साल बनाने के लिए प्रयास करें। सामूहिक प्रयासों से हम भारत को न्याय, शांति, एकता, प्रगति, समृद्धि और नैतिकता का प्रतीक बना सकते हैं।

आप और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका

प्रो. सलीम इंजीनियर

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

जमात-ए-इस्लामी हिन्द

' ‡L#
6L
6 O⁄ÅQ
6 Q
Y6 EA
Z#
' K6A PH' GE#



सेहत

संपादन प्रभाग

हमारी आंखे अनमोल हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रति हम लापरवाही कर ही देते हैं, फिर चाहे वह अंजाने में की गई ग़लती ही क्यों न हो। हमारी एक छोटी सी ग़लती हमारे जीवन को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए कोई ग़लती न करें। आइए जानते हैं कि वो कि कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप रूटीन के आधार पर अंजाने में करते हैं। इनके बारे में जानकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे, जिनसे हमारी आंखों को नुक़सान पहुंचता है।

आप जानते हैं कि आंखे कितनी अनमोल होती हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रति लापरवाही हर इन्सान कर ही देता है फिर चाहे वह अंजाने में की गई ग़लती ही क्यों न हो, लेकिन अब ये ग़लती नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी ग़लती आपके जीवन को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए आज से कोई ग़लती न करें। आइए जानते हैं कि वो कि कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप रूटीन के आधार पर अंजाने में करते हैं। इनके बारे में जानकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे, जिनसे हमारी आंखों को नुक़सान पहुंचता है।

कम रोशनी में या लेटकर पढ़ने की आदत - कम रोशनी में या लेटकर पढ़ने की आदत भी आंखों की सेहत के लिए हानिकारक होती है। अंधेरे में पढ़ने से आंखों को आगे चलकर नुक़सान हो सकता है, क्योंकि रोशनी की कमी से आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, जिसका परिणाम होता है, दृष्टि क्षेत्र की गहनता यानी आंख के फोकस में नज़दीक और दूर की चीज़ों के बीच फ़र्क़ का कम होना।

स्क्रीन टाइम - कुछ आंखों के डॉक्टरों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, जैसे हमारे कंप्यूटर, टेबलेट्स और स्मार्टफोन से निकालने वाली नीली लाईट सूरज की पराबैंगनी किरणों की तरह हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप के स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से आंखें ख़राब होने के साथ-साथ मोतियाबिंद जैसी बीमारी तक हो सकती है। कई

लोग इस वजह से अनिद्रा के भी शिकार हो जाते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर हमारी आंखों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए इससे सबसे ज़्यादा नुक़सान आंखों को ही होता है। कंप्यूटर और मोबाइल से हमारी आंखों की दूरी कम होती हैं, जिससे आंखों की मूवमेंट कम होती है। इस कारण लंबे समय तक आंखें एक ही पॉइंट पर फोकस रहती हैं। मोबाइल और कंप्यूटर अधिक उपयोग करने वाले लोगों में मुख्य समस्या ड्राई आई सिंड्रोम की होती है। इसमें आंखों में नमी कम होने लगती है।



बहुत अधिक समय तक मोबाइल के इस्तेमाल से भी आंखों को नुक़सान हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उसकी स्क्रीन से निकलने वाली एलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें आंखों के विभिन्न हिस्सों जैसे रेटिना और कॉर्निया पर अपना असर डालती हैं।

पलकों को न झपकाना - हमारी पलकें नैचुरल तौर पर दिन में हज़ारों बार झपकती हैं, ताकि आंखों को ज़रूरी नमी मिल सके। इसलिए आंखों में तनाव को दूर करने का सबसे आसान तरीक़ा है हर थोड़ी देर में पलकों को झपकाना। इससे आंखों में मौजूद टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, कि मोबाइल या फिर दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करते वक्त हम इतने डूब जाते हैं कि पलकों को झपकाना तक भूल जाते हैं। जिससे आंखें ड्राई और थकने लगती हैं।

आपने देखा होगा कि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते रहने से उनमें असहजता, खुजली महसूस होने लगती है। आमतौर पर आंखें एक मिनट में 12-15 बार झपकती हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले एक मिनट में केवल 4-5 बार ही आंखों को झपकाते हैं। आंखों को कम झपकाना और अधिक समय तक काम करते रहने से ड्राई आई सिंड्रोम, खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर पर लगातार काम करने वालों की आंखों से पानी निकलने की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि आंखें नहीं झपकाने से ल्युब्रिकेंट सही तरीक़े से आंखों में फैलता नहीं और उससे खुजली होती है और पानी बहता है।

लगातार टीवी देखने से आंखों की रोशनी कम होने लगती है, क्योंकि टीवी से निकलने वाली घातक किरणें हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुक़सान पहुंचती हैं। कभी भी बहुत पास या बहुत दूर और लेटकर भी टीवी नहीं देखना चाहिए।

कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आंखो से जुड़ी समस्या जैसे कम दिखना या देखते समय एक परेशानी महसूस होना आदि को हल्के में ले लेते हैं। यह समस्याएं आप को बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इनका इलाज समय रहते नहीं करवाते हैं तो ये समस्याएं अवश्य ही बड़ा और भयंकर रूप धारण कर सकती हैं।



आंखों की सुरक्षा

वर्ष 2007 में हुए एक शोध के अनुसार, कम दायरे में देखने के कारण भी आंखों की रोशनी कम होती है, यानी जब हम एक केंद्रीय बिंदु पर अधिक देर तक ध्यान लगाये रहते हैं और अन्य वस्तुओं को नहीं देखते तब भी हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। उम्रदराज़ युवाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। यह शोध इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थॉल्मेलॉजी एंड विजुअल साइंस में छपा था।

आंखों को बार-बार रगड़ना - आंखों पर बार-बार हाथ लगाने की आदत हम सभी की होती है, लेकिन ये आदत आंखों को नुक़सान पहुंचाने का ही काम करती है। हमारी आंखों में कंजेक्टिवा की बेहद पतली परत होती है, जो उनकी रक्षा करती है। तेज़ी से आंखों को मसलने से इस परत को नुक़सान पहुंच सकता है।

धूम्रपान छोड़ें - धूम्रपान आपके फेफड़ों के लिए जितना हानिकारक है, उतना ही आपकी आंखों के लिए भी। अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि धूम्रपान उम्र से संबंधित धब्बेदार विकृति (मैकुलर डीजनरेशन), मोतियाबिंद, और ऑप्टिक तंत्रिका को नुक़सान पहुंचाने का जोखिम बढ़ाता है, ये सभी आंखों की रोशनी जाने की वजह बन सकते हैं। सिगरेट में लगभग 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर के भीतर जाकर शरीर के अन्य अंगों के साथ-साथ आंखों को भी नुक़सान पहुंचाते हैं। ज़्यादा सिगरेट पीने से आंखों में लाल धब्बे होने के साथ-साथ आंखों से जुड़ी अन्य बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ता है। रेटिना के केंद्र को मैक्युला कहते हैं। हम अपनी आंखों की सीध में जिन चीज़ों को देखते हैं, उसके लिए मैक्युला ज़िम्मेदार होता है। उम्र बढ़ने पर ख़ासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद मैक्युला की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है, लेकिन अगर आप धूम्रपान करते हैं तो मैक्युला की कार्यक्षमता समय से काफ़ी पहले ही कम हो जाती है और आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं।

बहुत अधिक एल्कोहल पीने वाले लोगों की आंखों को भी उतना ही नुक़सान होता है जितना कि लीवर को। कई शोधों से यह बात साबित हो चुकी है कि बहुत अधिक शराब पीने वाले लोगों की आंखे तो कमज़ोर होती है ही, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में लालीपन, तेज़ गति की चीज़ें दिखना, रंगों के प्रति संवेदनशीलता जैसी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं।

आंखों की समस्या को इग्नोर करना - कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आंखो से जुड़ी समस्या जैसे कम दिखना या देखते समय एक परेशानी महसूस होना आदि को हल्के में ले लेते हैं। यह समस्याएं आप को बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इनका इलाज समय रहते नहीं करवाते हैं तो ये समस्याएं अवश्य ही बड़ा और भयंकर रूप धारण कर सकती हैं। ■■

क़ौम के अहल सर्वत और अह्ले-ख़ैर हज़रात से ख़ुसूसी अपील

यतीमख़ाना इस्लामिया, गया

आपके माली तआवुन का मुंतज़िर है



107 साल की ख़िदमात

तआरुफ़ इदारा की बुनियाद अक्तूबर 1917 में एक उस्ताद और दो यतीम बच्चों से आठ आने (50 पैसे) माहवार किराया की कोठरी में Rs. 30 रुपये की छोटी-सी रक़म से पड़ी थी। **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च **तालीमी मराहिल** इब्तिदाई, • सानवी, • आला, • शोबा-ए-हिफ़्ज़, • इनायत (I.T.I) • फ़ासलाती तालीम I.A., B.A, M.A और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) • तादाद ज़ेरे-तालीम तलबा व तालिबात तक़रीबन 450 • **तादाद कुल यतीम तलबा** 60 • बैरूनी तलबा, जो अपना ख़र्च देकर हॉस्टल में रहते हैं, उसके अलावा हैं। • तादाद तदरीसी व ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ 20 **सालाना ख़र्च :** पैंतीस लाख (RS. 35,00,000) रुपये से ज़्यादा। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे। **ख़र्चे** यतीम तलबा का सारा ख़र्च (तआम, क़ियाम, रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त) ये सारा ख़र्चे इदारा पूरा करता है। किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **याद रखें** (1) यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन पर चंदा वसूल नहीं किया करता है। (2) पांच ज़बानों में क़ुरआन व इस्लामियात के साथ क्लास 1 से मैट्रिक तक जो बिहार बोर्ड से मंज़ूरशुदा है मेयारी तालीम है। • हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक का नज़्म (3) 107 साल से यतीम और ग़ैर-यतीम तलबा की इस्लामी माहौल में दीनी व असरी तालीम के साथ तालीमी व तरबियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। (4) इदारा ही के Campus में दो हरे-भरे पार्क के साथ शानदार मस्जिद, तालीमगाह, इक़ामतगाह, मतबख़ और दूसरे शोबे वग़ैरा हैं • इसलिए तलबा को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता है। **कफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम तालिब-इल्म का सालाना ख़र्च RS. 25,000 है। आप भी इस कारे-सवाब में शरीक हों। • यहां के तलबा को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में आलिमियत के पहले व दूसरे साल में आसानी से दाख़िला मिल जाता है। (5) यतीमख़ाना से मैट्रिक पास करने वाले यतीम तलबा का दाख़िला यतीमख़ाना के इनायत (I.T.I.) में बिल्कुल मुफ़्त है। उनसे किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। पहले की तरह रहने-सहने और खाने-पीने की सारी सहूलियात दी जाती है। **अपील** इस माद्दा परस्ताना और जदीद दौर में दीनी व असरी उलूम के रिहायशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। • आसमान छूती महंगाई में इदारा की भरपूर माली मदद करें। तआवुन की मुख़्तलिफ़ शक्लें हैं जैसे • ज़कात, • अतियात, • सदक़ात, वग़ैरा और इदारा के बाक़ी तालीमी व तामीरी मन्सूबों के लिए भी रुपये की बहुत ज़रूरत है। इदारा आपसे नन्हे-मुन्ने मासूम यतीम बच्चों को तालीम के साथ-साथ बाहुनर बनाने के लिए और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए फ़राख़दिलाना माली तआवुन की अपील करता है ।

नोट इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी (Documentary Film) फ़िल्म नज़रे-इनायत You Tube (Nazr-e-Enayeth) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ यह लिखें THE GAYA MUSLIM ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीआर्डर भेजने का पता

Hon. Secretary, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE •
Cherki-824237, Distt Gaya (Bihar) India

Mobile : 9801213022, Whatsapp No. 7258063440

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
(Bank A/C No. 300402010010581 (ZAKATH
(Bank A/C No. 300402010002982 (DONATIONS
Bank IFSC Code No UBIN0530042
Bank UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए मेहरबानी स्कैन ऐंड पे पर (Scan to Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) और नाम व पता ऊपर के व्हाट्सऐप नंबर पर भेज दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ान
कारगुज़ार सदर : 9631867066

डॉक्टर जेड.ऐच. ख़ान
एजाज़ी सेक्रेट्री

E-mail gmocde@yahoo.com.in
Website www.gmogaya.in

पटना ब्रांच ऑफ़िस पटना शहर के हमदर्द अपना चेक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता क़ायम करें। जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां समनपुरा, पटना । 9934943229, जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां समनपुरा, पटना । 9631867066



करियर

संपादन प्रभाग

आपदा प्रबंधन में अवसर

आपदा ऐसे न रोके जा सकने वाले प्राकृतिक तथा मानवीय प्रभाव हैं जिन्हें उपयुक्त प्रबंधन विकल्पों द्वारा कम किया जा सकता है। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और यहां प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं की अत्यधिक संभावना है। भारत का भू-भाग 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का 2.4 प्रतिशत है। जबकि इसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 16.7 प्रतिशत है। हमारे देश की भू-वैज्ञानिक तथा भौगोलिक संरचना ऐसी है जो इसे आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर भाग में एक पर्वत श्रृंखला-हिमालय अत्यधिक भूकंप, भूस्खलन तथा हिमस्खलन जनित क्षेत्र है। उत्तरी भारत के भू-भाग में बाढ़ तथा सूखे का खतरा होता है। हमारा उत्तर-पश्चिमी भाग सूखे तथा बंजरता की सम्भावना वाला क्षेत्र है, जबकि हमारे तटीय क्षेत्रों में सुनामी तथा चक्रवात के खतरे होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा देश सभी प्रकार की आपदाओं अर्थात भूकंप, सूखे, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बंजरता, जंगल की आग तथा औद्योगिक वाहन (सड़क, रेल, वायु) दुर्घटनाओं की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। विश्व में 90 प्रतिशत आपदाएं विकासशील देशों में घटती हैं। भारत में, 70 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रवृत्त, 12 प्रतिशत बाढ़ प्रवृत्त, 60 प्रतिशत



भूकंप प्रवृत्त तथा 8 प्रतिशत चक्रवात प्रवृत्त हैं। प्रतिशतता के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमें ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है जो आपदा के समय सहायता कर सके और आपदा नियंत्रण की स्कीमों के नियोजन, निगरानी तथा प्रबंधन में मदद कर सके। आज के परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी परिदृश्य के संदर्भ में, हमें उद्योग तथा सरकारी एवं निजी संगठनों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन से जनित प्राकृतिक आपदाओं के चलते बाढ़, भूस्खलन या चक्रवात जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की तादाद ज्यादा बढ़ी है। इस दौरान विश्व भर में करीब 7348 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आईं।

भारत में भी इस दौरान अब 321 से ज्यादा खतरनाक आपदाएं आ चुकी हैं, जिसमें लाखों लोगों के जान-माल को नुकसान पहुंचा। आमतौर पर जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य करते हमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) या फिर सेना व पुलिस के प्रशिक्षित जवान दिख जाते हैं। लेकिन देश में प्राकृतिक

आपदाओं के समय राहत बचाव में प्रशिक्षित जवानों की उपलब्धता उतनी नहीं है कि हर स्थिति से अच्छी तरह निपट सकें। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में आपदा प्रबंधन के जानकारों की लगातार जरूरत महसूस की जा रही है। जोश, जुनून और जज्बे के साथ समाज सेवा की भावना रखने वाले युवाओं के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई तरह के करियर विकल्प हैं, जिनमें आकर्षक वेतन के साथ-साथ समाज और देश के लिए कुछ करने की संतुष्टि भी शामिल है।

बढ़ रही संभावनाएं आज के समय में आपदा प्रबंधन/डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है, जहां बहुआयामी करियर की संभावनाएं हैं। साथ ही, इसमें मानवता और देशसेवा का बेशुमार सुख भी है।आपदा प्रबंधन का समुचित कोर्स कर लेने के बाद युवाओं के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी के बहुत से मौके हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारपोरेट कंपनियों में भी इन दिनों ऐसे प्रशिक्षित लोगों की काफी जरूरत देखी जा रही है, क्योंकि ऐसी जगहों परपिछले कुछ सालों से कार्यस्थल की सुरक्षा पर विशेष जोर दिये जाने से ऐसे प्रशिक्षित लोगों को रखने पर ज्यादा ध्यानदिया जा रहा है, जो अपनी कुशलता से किसी भी संकट की स्थिति में लोगों की सुरक्षा कर सकें।

इसके अलावा, अगर आपने आपदा प्रबंधन में कोर्स कर रखा है, तो एनजीओ से लेकर अग्निशमन विभाग, इंश्योरेंस कंपनियों, केमिकल इंडस्ट्री या खनन और पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनियों में भी अपने लिए नौकरी तलाश सकते हैं, जहां सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी मैनेजर तथा सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जैसे भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आपदा प्रबंधन का कोर्स कर लेने के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, रेडक्रास जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी नौकरी पाई जा सकती है। यह कोर्स करके आप आपदा प्रबंधन से जुड़े किसी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षक भी बन सकते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं।



साहसिक लोगों के लिए उपयुक्त वैसे तो, आपदा प्रबंधन के फील्ड में किसी भी पृष्ठभूमि के युवा अपना करियर बना सकते हैं लेकिन जुनूनी, साहसिक और समाजसेवी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यहां राहत और बचाव कार्य करते समय जोखिम भी लेना पड़ता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन के तहत प्रोफेशनल्स को माउंटेनियरिंग समेत तमाम तरह का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी भी तरह की संकट की स्थित से कुशलतापूर्वक निपट सकें। इसलिए इस फील्ड में आने के लिए आप में गहरी व्यक्तिगत रुचि होने चाहिए, तभी आप इस फील्ड का आनंद उठाते हुए तेजी से करियर में आगे बढ़ पाएंगे।

कोर्स एवं योग्यताएंदेश के बहुत से संस्थानों द्वारा इन दिनों आपदा प्रबंधन में सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक, परास्नातक या पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स कराये जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कोर्सेज के लिए योग्यताएं अलग-अलग हैं, जैसे अगर आप इसमें अंडरग्रेजुएट या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं, तो न्यूनतम योग्यता बारहवीं होनी चाहिए। इसी तरह पीजी लेवल के कोर्स के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है।

आकर्षक पैकेज औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कारपोरेट कंपनियों या फिर एनजीओ में ऐसे प्रोफेशनल्स को आजकल अच्छे सैलरी पैकेज ऑफर किये जा रहे हैं। यह कोर्स करने के बाद प्रोफेशनल्स को 25 से 30 हजार रुपये तक की सैलरी आराम से मिल जाती है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर जैसे पदों पर ऐसे अनुभवी प्रोफेशनल् सलाख रुपये तक सैलरी पा रहे हैं। ■■

प्रमुख संस्थान

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली
www.nidm.gov.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
www.ignou.ac.in

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फायर इंजीनियरिंग, नागपुर
www.firecollegenagpur.in

देलही कॉलेज आफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, दिल्ली
www.dcfse.com

दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ फायर इंजीनियरिंग, दिल्ली

कहानी



मिख़ाईल नईमा

नाख़ून

मेरे एक देहाती पड़ोसी ने मुझे नगर से एक चीज़ लाने को कहा। उसने कहा-''चीज़ तो है मामूली परंतु है बड़ी दुर्लभ, पूरे नगर में केवल एक व्यक्ति बनाता है और वह भी आर्डर देने पर।'' उसने मुझे उसका नाम और दुकान का पूरा पता भी बता दिया। अधिक खोज और छान-बीन के बाद मैं उस बाज़ार में पहुंचा, जहां उसकी दुकान थी। देखता क्या हूं, एक अंधेरी और तंग गली में-जिसके दोनों सिरे दो चौड़ी सड़कों से मिलते हैं-वह दुकान स्थित है, बिल्कुल ऐसे, ही जैसे किसी जानवर का भट।

मैं दुकान में दाख़िल हुआ। अन्तिम सिरे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई पड़ा। सामने छोटी-सी मेज़-हाथ में कैंची-दूसरे हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा-एक छोटी-सी लकड़ी पर-जिसमें छोटे-बड़े हर क़िस्म के सूराख़ थे-वह कुछ कांट-छांट कर रहा था।

मैंने सलाम किया उसने ऊपरी मन से जवाब दिया-नज़र उठाकर मुझे देखा तक नहीं। जब मैंने अपने आने का मक़सद बताया तो उसने और भी उदासीन होकर उत्तर दिया-और अपने काम में लग गया।

''तुम्हारा समय सोने का है?''

''नहीं! एक कौड़ी का भी नहीं।''

''तो फिर दो घंटे बाद आओ।''

मैं दो नहीं ढाई घंटे बाद उसकी दुकान पर गया। वह पहले ही की तरह अपनी जगह पर अपने काम में डटा हुआ था। दाहिने हाथ में कैंची-बांए हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा और सामने वही लकड़ी-जिस पर वह कांट-छांट कर रहा था।

जब मैंने आवश्यकता बताई तो उसने वही उदासीनता दर्शाते हुए इस प्रकार उत्तर दिया-''दो घंटे बाद आओ।''

अपने साथ किए गए इस तिरस्कार पर उसको कुछ कहना-सुनना मैंने उचित न समझा, क्योंकि मैं ज़रूरतमन्द था, उसको मेरी ज़रूरत न थी-फिर भी मैंने अपने रोष को प्रकट कर ही दिया। अब भी उसने कोई ध्यान न दिया और न ही मुझ से किसी प्रकार की क्षमायाचना की-बल्कि थोड़ी देर बाद फिर बोला, ''दो घंटे बाद आओ।''

दो घंटे बीत जाने के बाद मैं फिर उसकी दुकान की ओर बढ़ा-इस बार मैंने निश्चय कर लिया था कि बिना ज़रूरत पूरी किए वापस न आऊंगा अभी इस तंग कोठरी में क़दम भी न रखने पाया था कि उसने कहना शुरू कर दिया, ''क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं?''

मैंने कहा-''मुझे इसके अलावा और बहुत से काम हैं परन्तु सबसे ख़ास और अहम काम यही है, क्योंकि यह मेरे एक पड़ोसी का है और मैं चाहता हूं कि इसे बिना पूरा किए वापस न जाऊं।''

''तुम्हारे निकट इस काम का महत्व अवश्य होना चाहिए, पर अभी जाओ, तुम्हारा यह काम दो घंटे बाद ही हो सकेगा।''

मन में अनाप-शनाप बकते हुए भी मैंने उससे केवल इतना ही कहा-''मुझे आशा है कि आप इस बार वापस न करेंगे। मैं दूर के एक देहात से आया हूं। रास्ता कठिन और भयानक है। सूर्यास्त से पूर्व मेरा वहां पहुंच जाना ज़रूरी है।''

दो घंटे बाद जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वह अपनी जगह पर बैठा हुआ है और वही कैंची, जो उसके हाथ में थी-उससे अब वह अपने नाख़ून काट रहा है-छोटी लकड़ी और कपड़े के टुकड़े के स्थान पर उसके

सामने अरबी भाषा का एक लंबा-चौड़ा दैनिक समाचार पत्र पड़ा हुआ है और क़रीब ही एक कार्टून का एक एलबम भी रखा है-उसने इस बार मुस्कराते हुए मेरा अभिवादन किया और सामने की कुर्सी पर बैठने का संकेत किया, फिर नम्रतापूर्वक बोला-''ईश्वर के लिए तनिक विश्राम कर लो-मैं तुम्हारा काम किए देता हूं-तनिक मैं नाख़ून तो काट लूं-क्या तुम अपने नाख़ूनों को काटना नहीं चाहते?-लो यह रही कैंची!'' उसने पहली बार मेरी ओर अपनी छोटी और गोल आंखें उठाईं-जिनमें आंसू भी थे और मुस्कान भी। वह रो नहीं रहा था, बल्कि अनोखी मुस्कान उसके सूखे और लटके हुए चेहरे पर खेल रही थी। मुझे अपने पूरे जीवन में यह अद्भुत चेहरा देखने का पहला अवसर था।

उसकी बातें सुनकर और उसका चेहरा देखकर मैं चकित था-आख़िर उसको किस तराज़ू पर रखूं और किन शब्दों में याद करूं-रोष की वह स्थिति-जो उसकी टाल-मटोल के कारण-मेरे मन में पैदा हो गई थी अब सद्भावना में बदलती जा रही थी और अपने आप हंसी भी आ रही थी।

मेरी प्रसन्नता या क्रोध की परवाह किए बिना वह जो चाहता, कहता और करता और इसमें सन्देह नहीं कि वह जो कुछ कर रहा था, उचित ही था, इसलिए अच्छा से अच्छा जवाब जो मैं दे सकता था वह यह था-''श्रीमान! धन्यवाद! मुझे नाख़ून काटने की ज़रूरत नहीं, घर वापस जाना अतिआवश्यक है। क्या अच्छा होता यदि आप पहले मेरे वापस जाने की चिंता करते, फिर उसके बाद नाख़ूनों की ओर ध्यान देते!''

''क्या अच्छा होता, यदि तुम भी अपने नाख़ून काट लेते, फिर घर वापस जाते।''

''परन्तु-मेरे नाख़ून कटे हुए हैं।''

''हां, कभी उंगलियों के नाख़ून कटे हुए होते हैं, परन्तु उनके अलावा दूसरे नाख़ून भी होते हैं-मैं समझता हूं तुम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, हालांकि तुम्हें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए था।''

अपने साथ किए गए इस तिरस्कार पर उसको कुछ कहना-सुनना मैंने उचित न समझा, क्योंकि मैं ज़रूरतमन्द था, उसको मेरी ज़रूरत न थी-फिर भी मैंने अपने रोष को प्रकट कर ही दिया। अब भी उसने कोई ध्यान न दिया और न ही मुझ से किसी प्रकार की क्षमायाचना की-बल्कि थोड़ी देर बाद फिर बोला, "दो घंटे बाद आओ।"

''आपका मतलब किन नाख़ूनों से है?''

''मेरा मतलब उन नाख़ूनों से है जो मनुष्य के विचारों और मन व मस्तिष्क में उगे होते हैं''-मैं कुढ़कर चुप हो रहा। मैंने सोचा, संभवतः वह अपना वक्तव्य समाप्त कर दे और अपने नाख़ूनों को काटना रोक कर मेरी ज़रूरत पूरी करने में लग जाए, पर थोड़ी देर बाद ही उसने फिर अपना भाषण आरंभ कर दिया-''भेड़िया अपने नाख़ूनों को नहीं काटता, यही हथियार हैं जिनकी सहायता से वह अपनी रक्षा करता है और शिकार के जानवर हासिल करता है- मनुष्य अपने नाख़ूनों को काट देता है; क्योंकि उनकी मौजूदगी में तबीयत को कुढ़न होती है, इसके अतिरिक्त उसके पास ऐसे अस्त्र भी मौजूद हैं जिनकी सहायता से वह अपनी सुरक्षा कर सकता है और अपनी रोज़ी भी हासिल कर सकता है। भेड़िया अपने इस काम पर लज्जित नहीं होता। जब भूख बढ़ती है वह अपने भाई और बाप पर भी आक्रमण कर देता है और उन्हें फाड़ खाता है-बहरहाल वह निंदनीय नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है, पर मनुष्य अपने कुकर्मों पर लज्जित होता है, वह अपने बाप और भाई से भिड़ना नहीं चाहता, जान-बूझकर अथवा बिना जाने-बूझे जब कभी वह अपने भाई और बाप के साथ दुष्चरित्रता पर उतारू हो जाता है, तो उसके इस दुराचार पर दूसरे लोग उसे धिक्कारते हैं, तात्पर्य यह कि दुराचार, स्वार्थ, लोभ और द्वेष एवं प्रतिकार की तमाम भावनाएं, जो किसी मनुष्य के भीतर पैदा होती हैं, वह नाख़ून हैं जो केवल जंगली पशुओं को शोभा देते हैं, मनुष्य को कदापि शोभा नहीं देते, अतएव जो व्यक्ति मनुष्य बनना चाहता है और मनुष्यों की श्रेणी में रहकर शांति

की बांसुरी बजाना चाहता है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने इन नाख़ूनों को काट दे। क्या तुम मेरी इन बातों से सहमत नहीं?''

वह मुझ से बातें करता जाता और उसकी निगाह नाख़ून और कैंची पर जमी होतीं। जब कोई नाख़ून का टुकड़ा उसके सामने अख़बार पर गिरता, उसे बड़ी सावधानी से उठाता और धीरे से कार्टून के एलबम में रख देता।

मैं चकित था कि इस क़िस्म कि बातें? इस अंधेरी व तंग कोठरी में? एक ऐसे व्यक्ति से सुन रहा हूं? इतने में मेरी दृष्टि अपनी घड़ी पर पड़ी, जैसे मुझे किसी सांप ने छू लिया हो। उठने का इरादा कर ही रहा था कि उसने थोड़ी देर और इन्तिज़ार करने के लिए कहा, इसके बाद यूं कहने लगा-''आग्रह भी एक नाख़ून है जिसे काटना अनिवार्य है। मेरे भाई-संसार में कोई वस्तु इस योग्य नहीं कि हम उसकी प्राप्ति के लिए आशा करें। यह संपूर्ण सृष्टि नाख़ून के कटे हुए टुकड़े के समान नहीं हो सकती पर नाख़ून का कटा हुआ एक टुकड़ा संपूर्ण सृष्टि के समान हो सकता है।''

इस पर मैंने निराश होकर कहा-''जिस काम का कष्ट मैंने आपको दिया है, वह मेरे निकट इस समय संसार और उसकी वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। क्या आप कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूरा कर सकते हैं?''

''प्रियवर! वह काम क्या है? प्रातः जब तुम आए थे मैं उसके दो मिनट बाद ही उस काम को पूरा कर चुका था, परन्तु चाहता कुछ और था-मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था।''

उसने मेरा काम सुचारू रूप से किया था। मैं उसे पा लेने के बाद अपनी तबियत पर क़ाबू न पा सका। चूंकि उसने मेरा अनादर किया था और बड़ी हद तक मेरा समय नष्ट किया था-मैंने उसकी निंदा करनी आरंभ कर दी, पर उसके चेहरे पर दुख व रोष के बजाए मुस्कान क्रीड़ा कर रही थी। मानो मेरी निंदा का उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ रहा हो।

''मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी पर तुम सफल न हुए।''

''आपको मेरी परीक्षा लेने की कदापि आवश्यकता न थी। पूरे जीवन में पहली बार मैं आपसे मिला हूं। एक राही की परीक्षा लेना निरर्थक है, उसका सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।''

''ठीक है! तुम्हारी भेंट मुझ से केवल एक बार की है, पर मैं समझता हूं कि तुम से इसे पहले कई बार मिल चुका हूं और आशा है कि भविष्य में भी एक समय तक भेंट होती रहेगी और मित्र की अपने मित्र से यही मांग होती है।''

''क्या आप प्रत्येक नए आने वाले की परीक्षा लेते हैं?''

''प्रत्येक नया आने वाला मनुष्य नहीं होता और न प्रत्येक मनुष्य इस योग्य होता है कि उसकी परीक्षा ली जाए।''

''इस तंग व अंधेरी कोठरी से निकल कर आपको इस लंबे-चौड़े संसार में क़दम रखना चाहिए और संसार वालों को आंतरिक व बाह्य नाख़ूनों के काटने का तरीक़ा सिखाना चाहिए।''

''हां-मैं नाख़ून काटने में जब कुशल हो जाऊंगा-अभी तो मैं ख़ुद सीख रहा हूं। जो स्वयं सीख रहा हो वह दूसरों को कैसे सिखा सकता है।''

''आप अपने कटे हुए नाख़ून के टुकड़ों की ओर इतना ध्यान क्यों देते हैं। क्या इसमें आपका कोई स्वार्थ निहित है या सफ़ाई-सुथराई में अतिशयोक्ति का परिणाम है?''

मैंने बिना सोचे-समझे यह प्रश्न पूछ लिया, परन्तु इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर आशा से अधिक हुआ। उसने अपनी नज़र उठाई और मेरे चेहरे पर गाड़ दी और चबा-चबाकर यूं कहने लगा-''नाख़ून काटना मेरा बहुत बड़ा काम है। मैं अपने हरेक बाह्य नाख़ून के साथ एक आंतरिक नाख़ून भी काटता हूं। मेरे आंतरिक नाख़ून मेरी वे ग़लतियां हैं जो जान-बूझकर या अनजाने में मुझ से हो जाती हैं, मानो मेरा प्रत्येक बाह्य नाख़ून मेरी एक ग़लती का सूचक है। जिस

"हां-मैं नाख़ून काटने में जब कुशल हो जाऊंगा-अभी तो मैं ख़ुद सीख रहा हूं। जो स्वयं सीख रहा हो वह दूसरों को कैसे सिखा सकता है।"
"आप अपने कटे हुए नाख़ून के टुकड़ों की ओर इतना ध्यान क्यों देते हैं। क्या इसमें आपका कोई स्वार्थ निहित है या सफ़ाई-सुथराई में अतिशयोक्ति का परिणाम है?"

प्रकार ये बाह्य नाख़ून पलते और बढ़ते हैं, उसी प्रकार ग़लतियां भी पलती और बढ़ती हैं। यही कारण है कि मैं अपना कोई नाख़ून बर्बाद नहीं होने देता और मैंने वसीयत कर दी है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी क़ब्र में ये नाख़ून भी मेरे साथ गाड़ दिए जाएं ताकि क़ियामत के दिन ये गवाह रहें कि मैं बिल्कुल पाक हूं। केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें यह सुझाव दे रहा हूं कि तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूं।''

अब मुझे उस व्यक्ति की बुद्धि के बारे में कुछ शक-सा होने लगा। मैंने पूछा, ''निस्संदेह आप अमूल्य सुझाव दे रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि आज से इस पर अमल करूंगा और आगे भी करता रहूंगा, पर कृपया मुझे बताइए कि यह सुझाव जो आपने मुझे दिया है आपका गढ़ा हुआ है? या आपने किसी और से सीखा है?'' नहीं यह मेरा गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि मैंने इसका अपने स्वर्गीय पिता से विरासत में पाया है वह इस पर बड़ी सख़्ती से अमल करते थे, यहां तक कि केवल एक नाख़ून की वजह से वे फांसी के तख़्ते पर चढ़ गए और जान दे दी। मैंने तुम से पहले ही कहा था न कि कभी-कभी नाख़ून का कटा हुआ एक टुकड़ा संपूर्ण सृष्टि के समान होता है।''

उस समय मैं निस्तब्ध खड़ा था। मैंने कहा, ''क्या नाख़ून का कटा हुआ एक टुकड़ा फांसी के तख़्त तक पहुंचा सकता है?''-मैं नहीं मान सकता।

''बिल्कुल सच्ची घटना है, संसार में इससे भी अधिक आश्चर्यजनक घटनाएं नित्य घटती रहती हैं। मेरे पिता-भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे-बढ़ई के काम में निपुण थे, साथ ही साथ अति संयमी और ईश-भय रखने वाले। वे अपने नाख़ूनों के कटे हुए टुकड़ों को इसी सावधानी से एकत्र करते, जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो। धीरे-धीरे पड़ोसियों को इसका ज्ञान हो गया। एक बार स्वर्गीय पिता जी नाख़ून काटने में व्यस्त थे। दुष्ट लड़कों की एक टोली दुकान पर पहुंची। संयोग से एक टुकड़ा उड़कर ज़मीन पर जा गिरा। एक लड़के ने उसे चुनकर हवा में फेंक दिया। स्वर्गीय पिता जी ने एक कुल्हाड़ी उठाई जो क़रीब ही पड़ी हुई थी और लड़के का पीछा किया। मेरा टुकड़ा लाओ, नहीं तो इस कुल्हाड़ी से तुमको मार गिराऊंगा। वह लड़का भागा चला गया, अंत में पिता जी ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया और उसके प्राण पखेरू उड़ गए। मामला जज के पास पहुंचा। जज को विश्वास न हुआ और न किसी और ही को हुआ-क्या एक संयमी और ईश-भय रखने वाला व्यक्ति केवल नाख़ून के एक टुकड़े के लिए एक अबोध बालक की जान ले सकता है? परन्तु फांसी की घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरे पिता ने बड़े तपाक से उसका अभिवादन किया और उसको गले से लगा लिया जैसे एक मित्र अपने बिछड़े हुए मित्र को पाकर गले लगा लेता है।''

यह दुखद घटना सुनाकर वह ख़ामोश हो गया। मैंने कुछ नक़द रुपये उसकी मेज़ पर रख दिए और चलने के लिए अपना हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ इतने ज़ोर से दबाया कि मैं चिल्ला उठा। इसके बाद वह बड़ी देर तक मुझे टकटकी बांधे देखता रहा और सरल अंग्रेज़ी में पूछा-''ARE YOU STRONG''? (क्या तुम ताक़तवर हो?)

मैंने उत्तर दिया और उत्तर देने में जितना आश्चर्य मुझे हुआ उससे कहीं अधिक उसके प्रश्न पर हुआ-मैं आपके सामने हूं, दुबले-पतले शरीर वाला, जो हलके बोझ से भी धरती पर जा रहे, उसने मेरा उत्तर सुना ही था कि फिर मुझे ज़ोर से झिंझोड़ा और कहा-मेरा तात्पर्य बाहुबल से नहीं, यह तो बैलों और पशुओं के लिए मुख्य है-मेरा तात्पर्य संयम से है। क्या तुम्हें अपनी इन्द्रियों पर कंट्रोल है? क्या तुम पसन्द करते हो कि इतना मामूली स्वार्थ, जिसके लिए तुम आज मेरे पास आए, तुम पर शासन करे? सुनो! आत्म-संयम ही मूल शक्ति है और इसके अलावा जो कुछ है वह हक़ीक़त में नाख़ून है, उसको काट देना ही अच्छा है, यह कहकर उसने मेज़ पर बड़ी ज़ोर से मारा। तमाम चीज़ें इधर-उधर नाचने लगीं। कार्टून का वह एलबम जिनमें नाख़ून के कटे हुए टुकड़े बड़ी सावधानी से रखे हुए थे, ज़मीन पर लुढ़क गए और तमाम टुकड़े अलग-अलग दिशाओं में बिखर गए।

उसका चेहरा काला पड़ गया। आंखें बाहर निकल आईं, शरीर में कपकपी पैदा हो गई और इसी हालत में वह बिखरे नाख़ूनों को अपने हाथ और पैर से टटोलने और एक-एक करके इकट्ठा करने लगा। इसी बीच में मैं आंख बचाकर खुली सड़क की ओर खिसक गया, परन्तु उसकी कपकपाई हुई आवाज़ मेरे कानों को सुनाई दे रही थी-हाय अफ़सोस! हाय अफ़सोस!! मुझ से बड़ी ग़लती हुई!!! मुझ से बड़ी ग़लती हुई!!!

आख़िरी पन्ना



तबाना नूरी

विक्षिप्त मन का बीज

प्रत्येक मनुष्य के अन्दर कम या अधिक अहंकार की भावना होती अवश्य है। जिसके अन्दर अहंकार न हो वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अहंकार के बलवती होने से जीवन जटिल और कष्टमय हो जाता है। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना असान नहीं है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने की मनोवृत्ति मनुष्य को अहंकारी बना देती है। जब मन में अहंकार आने लगता है तो अहंकार के पीछे से कई ऐसे विचार स्वयं ही आ जाते हैं जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं। अहंकार विक्षिप्त मन का बीज है, जिसके फल अत्यंत दुखदायी व ख़तरनाक होते हैं।

अपनी बात पर अड़े रहना, अपने को सही सिद्ध करना, ग़लती करने पर स्वीकार नहीं करना, ग़लत के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना, मैं सही हूं यह भ्रम पैदा हो जाना, मेरा कैसे लाभ हो मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचे। ये सब शुरूआती अहंकार के लक्षण हैं, जो बाद में विकराल रूप धारण कर लेते हैं।

इसीलिए दर्शन और मनोविज्ञान से जुडे विद्वान इसे सर्वथा ग़लत बताते हैं और अपनी बुद्धि-विवेक से इस बुरी भावना को त्यागने की सलाह देते हैं। दार्शनिकों का ऐसा मनाना है कि जब अहंकार बलवान हो जाता है, तब वह मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है।

अपनी बात पर अड़े रहना, अपने को सही सिद्ध करना, ग़लती करने पर स्वीकार नहीं करना, ग़लत के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना, मैं सही हूं यह भ्रम पैदा हो जाना, मेरा कैसे लाभ हो मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचे। ये सब शुरूआती अहंकार के लक्षण हैं, जो बाद में विकराल रूप धारण कर लेते हैं।

शुरू में तो यह भाव-आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। हमारे समूचे कार्यकलाप ही अहंकार-पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। धन, पद-प्रतिष्ठा और यश पाकर भी हम असंतुष्ट-अतृप्त रह जाते हैं। अहंकार का अनचाहा प्रभाव ये है कि लोग आपको नापसंद करते हैं, यहां तक कि आपसे डरते भी हैं। यह आपका सम्मान छीन लेता है।

हम बार-बार यही सुनते हैं कि इस अहंकार का त्याग करो। महापुरुषों द्वारा भी हमेशा यही बात क्यों दोहराई जाती है कि अहंकार हमें विनाश की तरफ ले जाता है। विभिन्न धर्म ग्रन्थ भी हमें अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आख़िर इस अहंकार का जन्म कैसे होता है? अहंकार आता कहां से है? सवाल यह भी उठता है कि इससे मुक्ति का मार्ग क्या है?

जानकारों का मानना है कि अहंकार मन का एक विकार है जो मनुष्य के मन में स्वयं ही उपजता है। मैं

आपसे बेहतर हूं, मैं अधिक पैसा कमाता हूं, मेरा घर बड़ा है, मेरी बुद्धि अधिक है, मैंने अधिक यात्रा की है, मेरी ताक़त ज़्यादा है, मैं अधिक स्वादिष्ट भोजन बनाता हूं, यह सूची बहुत लंबी है। श्रेष्ठता की यह भावना ही समस्त अभिमान और अहंकार का मूल है।

अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम सच्चे मन से नम्रता, समर्पण और त्याग की सीढ़ी पर पांव रखना आवश्यक है। अहंकार से छुटकारा पाने का सबसे बड़ यंत्र है- मृत्यु-बोध। हम जिस सुंदर शरीर, सांसारिक उपलब्धि और पद-प्रतिष्ठा पर गुमान करते हैं, वे सभी क्षणभंगुर हैं। फिर भी हम उन्हें पाने के लिए ग़लत काम करने से नहीं चूकते। पर जब हमारे भीतर यह अंतर्ज्ञान जाग जाता है कि मृत्यु ही जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है तो अहंकार का भाव विलुप्त हो जाता है।

अहंकार का रोग बाहर की आंखों से नहीं, अपितु अंतर्मन की आंखों से देखा जा सकता है। अतः हमारे लिए अपने सचेत प्रयास से अहंकार की निरर्थकता को समझते हुए उसे त्यागना बहुत ज़रूरी है। त्याग करने से पहले उसकी निरर्थकता को समझना होगा।

अहंकार से दूरी का एक और उपाय है ईश्वर को याद करना-हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर सब देखता है, यहां तक कि व्यक्ति के दिलों में क्या है उसे भी वह देखता है। धर्म का जन्म ही तब होता है, जब अहंकार विलीन होने लगे, धार्मिकता के लिए निरहंकारिता अति आवश्यक है। अहंकारी कभी धार्मिक नहीं हो सकता, धार्मिक होने का पाखंड कर सकता है।

निरहंकारी हुए बिना ऊंचे पदों पर बैठा व्यक्ति लोकहित की बातें तो करेगा, पर लोकहित कभी नहीं करेगा। लोकहित उसी से हो सकता है, जो निरहंकारी हो।

"और लोगों से अपना रुख़ न फेर और न धरती में इतराकर चल। निश्चय ही ईश्वर किसी अहंकारी, डींग मारने को पसन्द नहीं करता।"

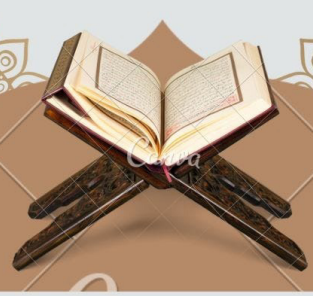

क़रआन, 31:18

अहंकार हमें आस्तिक के गुणों को प्राप्त करने से रोकता है। अभिमानी व्यक्ति न तो विनम्र हो सकता है और न ही वह ईर्ष्या से बच सकता है। वह सलाह मानने से इंकार कर देता है और अक्सर अपने क्रोध या गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है।

धर्म ग्रंथों में अहंकार के दुष्परिणामों से लोगों को चेताया गया है। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है-

"कहा जायेगा, "नरक के द्वारों में प्रवेश करो उसमें सदैव रहने के लिए।" तो बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का।" क़ुरआन, 39:72

क़ुरआन में जगह-जगह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए।

"और धरती में अकड़कर न चलो, न तो तुम धरती को फ़ाड़ सकते हो और न लंबे होकर पहाड़ों को पहुंच सकते हो।"

क़ुरआन में एक अन्य स्थान पर कहा गया है-

"और लोगों से अपना रुख़ न फेर और न धरती में इतराकर चल। निश्चय ही ईश्वर किसी अहंकारी, डींग मारने को पसन्द नहीं करता।" क़रआन, 31:18

निसंदेह, ईश्वर किसी अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। इसलिए एक आस्तिक अपने चरित्र से अहंकार के लक्षणों को दूर करने का प्रयास करता है। वह हमेशा अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहता है। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वह अपने सुविचारों के साथ आत्मा की गहराइयों की यात्रा पर निकल पड़ता है और वही अनंत शांति का मार्ग है। हम सभी को अपने जीवन में अभिमान और अहंकार के बदले दया और करुणा लाना चाहिए। हमे अपने भीतर छुपे अहंकार के अंधेरे को दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों उज्ज्वल हो सके। ■■



A Well Wisher

“

रमज़ान के महीने की पहली रात को शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और जिन्नों को क़ाबू में कर लिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और एक आसमानी पुकारने वाला घोषणा करता है : ऐ भलाई चाहने वाले, पास आओ! ऐ बुराई चाहने वाले, रुक जाओ! अल्लाह के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें वह जहन्नम से बचाता है, और ऐसा हर रात के दौरान होता है।

”

(हदीस : तिर्मिज़ी)

J. I. H. West, Patna (Bihar)

KANTI Monthly, New Delhi
FEBRUARY 2025
Posted on 20-21 January 2025
Published on 18 January 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

"रमज़ान का महीना आ गया है,
एक मुबारक महीना जिसमें अल्लाह तआला ने तुम
पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े
खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं,
शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इसमें एक
रात होती है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। इस तरह जो
इसकी नेकियों से वंचित रह गया वह
वास्तव में वंचित रह गया।"
(हदीस : मुसनद अहमद)

A Well Wisher

J.I.H. Munger Unit,
(Bihar)

